दिल्ली शाला सिद्धि
DILLI SHAALA SIDDHI

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा

सुधार हेतु मूल्यांकन

SCERT
स्वाध्यायान्मा प्रमदः
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
State Council of Educational Research and Training

GNCT OF DELHI
शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

शाला सिद्धि
SHAALA SIDDHI

सुधार हेतु मूल्यांकन

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन
की रूपरेखा

SCERT
स्वाध्यायान्न प्रमदः
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
State Council of Educational Research and Training

GNCT OF DELHI
शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

© राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
मई, 2016
1500 (प्रतियाँ)

प्रकाशन विभाग प्रभारी
सपना यादव

प्रकाशन टीम
श्री नवीन कुमार,
राधा एवं जयभगवान

Published by : State Council of Educational Research & Training, New Delhi
Printed at : Educational Stores, S-5, Bsr. Road Ind. Area, Site-I, Ghaziabad (U.P.)

आभार

'राज्य स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (डी.एस.पी.एस.सी.ई.) की रूपरेखा' का निर्माण दिल्ली के परिपेक्ष्य में NUEPA द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम' (एन.पी.एस.सी.ई) को रूपांतरित व सारगर्भित करने का साझा प्रयास है। इसके लिए हम NUEPA की प्रो0 प्रणति पाण्डा के आभारी हैं कि उन्होंने अपने लगातार व अप्रतिबंधित सहयोग द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के ढाँचे को सर्वप्रथम विकसित किया।

दिल्ली के विद्यालयों में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में विद्यालयों के समग्र सुधार को प्राप्त करने हेतु विद्यालय के मानक और मूल्यांकन एक अनिवार्य पूर्वअपेक्षा है। इसे स्वीकृत करने के लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विशेष रूप से आभारी हैं।

यह महत्वपूर्ण कार्य श्रीमती अनीता सेतिया, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग व दिशा–निर्देशन के बिना पूरा होना संभव नहीं था, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा इस कार्यक्रम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंत में हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय समिति के सदस्यों व अनुवादक समिति का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने इस परियोजना की रचना, रूपरेखा निर्माण, संपादन, अनुवाद व प्रूफ रीडिंग आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

—स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई

कार्यालय मानकों और मूल्यांकन की इकाई की केन्द्रीय समितिः–

श्रीमती अनीता सेतिया,	–	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्, वरूण मार्ग डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली
डॉ0 सुनीता कौशिक,	–	अतिरिक्त शिक्षा निदेशिका, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
डॉ0 प्रतिभा शर्मा,	–	सह–निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् वरूण मार्ग डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली
श्रीमती पूनम विरमानी,	–	उप–प्रधानाचार्या, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (SCERT में प्रतिनियुक्त)
श्रीमती सीमा सिंह,	–	उप–शिक्षा अधिकारी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (SCERT में प्रतिनियुक्त)
श्रीमती संध्या पसरिचा,	–	प्रधानाचार्या, रेड रोज़ेज पब्लिक स्कूल, डी ब्लॉक, साकेत
श्रीमती सुमन,	–	प्रधानाचार्या, ब्लू बैल्स स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
डॉ0 उषा राम,	–	प्रधानाचार्या, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली
डॉ0 शारदा कुमारी	–	वरिष्ठ प्रवक्ता, डाइट, रा0कृ0पुरम, नई दिल्ली
श्रीमती शावेता कुकरेजा,	–	सहयोगी निदेशक, सेंटर स्कवेयर फाउन्डेशन, नई दिल्ली
श्रीमती मीनाक्षी शर्मा,	–	सलाहकार, क्रीएटनेट एजुकेशन, नई दिल्ली
श्रीमती पूनम बत्रा,	–	प्रधानाचार्या रा0व0मा0क0वि0 नं01, डॉ0 अम्बेडकर नगर, सैक्टर 4, नई दिल्ली
श्रीमती कविता राणा,	–	प्रधानाचार्य, सर्वोदय विद्यालय, बसंत विहार, नई दिल्ली

सहयोगी

श्री जे0बी0 सिंह,	–	सेवानिवृत, उप शिक्षा निदेशक सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान
श्रीमती सविता दराल,	–	ओ0एस0डी0 परीक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
श्रीमती अमरजीत कौर,	–	ब्लू बैल्स स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
श्रीमती किरण जैसवाल,	–	ब्लू बैल्स स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली
डॉ0 इंदु कौशिक,	–	उप प्रधानाचार्या, रा0व0मा0क0वि0 नं0 2, शक्ति नगर, दिल्ली
श्रीमती नीरज कालरा,	–	उप प्रधानाचार्या, सर्वोदय कन्या विद्यालय, सी0 ब्लॉक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली
श्री प्रमोद कुमार सत्यार्थी,	–	प्रधानाचार्य, सर्वोदय बाल विद्यालय, ब्लॉक–27 त्रिलोक पुरी, नई दिल्ली
श्रीमती प्रत्यूष,	–	क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
श्री आदेश भिगलानी,	–	राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्

अनुवादक

1. श्री अक्षय कुमार दीक्षित, टी0जी0टी0 (हिंदी) सर्वोदय बाल विद्यालय, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली
2. श्री कपिल गहलोत, प्राथमिक शिक्षक, नि0प्र0वि0 बापड़ौला गाँव, नई दिल्ली
3. सुश्री निरूपमा, प्राथमिक शिक्षक, नि0प्र0वि0 नांगलोई सैयद, नई दिल्ली
4. सुश्री सरिता, प्राथमिक शिक्षक, नि0प्र0वि0 तुलसी नगर–I, नई दिल्ली
5. श्री राजेन्द्र जोशी, टी0जी0टी0, रा0प्र0वि0वि0, त्यागराज नगर, लोधी रोड, नई दिल्ली
6. श्रीमती सीमा सक्सेना, टी0जी0टी0, सर्वो0क0वि0 आनंद विहार, नई दिल्ली
7. श्रीमती पूनम वर्मा, टी0जी0टी0, वीर सावरकर सर्वो0क0वि0 नं0 1, कालकाजी, नई दिल्ली

विषय सूची

दिल्ली राज्य स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (डी0एस0पी0एस0एस0ई0) तक – एक रूपांतरण प्रक्रिया

1.0 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (एन.पी.एस.एस.ई) 1

1.1 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य 2

1.2 अवधारणात्मक और क्रियात्मक योजना: (एन.पी.एस.एस.ई.) 3

2.0 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा (एस.एस.ई.एफ.) 5

2.1 एस.एस.ई.एफ. की संरचना 5

2.2 मुख्य आयाम एवं मूल मानक 6

2.3 विद्यालय मूल्यांकन एवं सुधार प्रक्रिया 7

3.0 मुख्य आयामों की संरचना 8

4.0 विद्यालयी मूल्यांकन का उपागम 12

4.1 स्कूल मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश 12

5.0 स्कूल–मूल्यांकन डैशबोर्ड के बारे में 13

6.0 राज्य विशिष्टता, अनुकूलन, संदर्भीकरण और अनुवाद 14

7.0 वेब पोर्टल 14

8.0 मुख्य आयाम और मूल मानक

मुख्य आयाम I
विद्यालय में उपलब्ध संसाधन: उपलब्धता, पर्याप्तता एवं उपयोगिता 15

मुख्य आयाम II
शिक्षण–अधिगम एवं आकलन 35

मुख्य आयाम III
शिक्षार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास 49

मुख्य आयाम IV
अध्यापक कार्य एवं व्यावसायिक विकास का प्रबंधन 61

मुख्य आयाम V
स्कूल प्रबंधन एवं नेतृत्व 75

मुख्य आयाम VI
समावेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा 89

मुख्य आयाम VII
समुदाय की गुणात्मक सहभागिता 103

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (एन0पी0एस0एस0ई0) से दिल्ली राज्य स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (डी0एस0पी0एस0एस0ई0) तक की रूपांतरण प्रक्रिया

शिक्षा निदेशालय व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् पिछले कुछ वर्षो से दिल्ली के विद्यालयों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु लगातार प्रयासरत है। विद्यालय कार्यक्षेत्र में यह गुणवत्ता प्रधान अगुवाई, विद्यालय, उसके प्रदर्शन और स्वमूल्यांकन केन्द्रित सतत सुधार की ओर अनिवार्य रूप से केन्द्रित है।

सी0सी0ई0 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रारंभ व लागू होने के साथ–साथ ही आकलन को गलतियाँ ढूँढ़ने के औजार की बजाय सतत् सुधार व विकास के ही एक माध्यम के रूप में माना जाने लगा है। अतः विद्यालय की बेहतरी व सुधार हेतु एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता है जो पूर्णतः व्यापक, सहयोगी, निदानात्मक, उपचारात्मक व भयमुक्त हो।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् व शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में स्व उन्नति को बढ़ावा देने हेतु एक ऐसी आकलन प्रणाली का ढाँचा विकसित किया है जो व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य करते हुए सुधार को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखेगा।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की मार्च 2015 की PAC सभा में शिक्षा सचिव और सभापति SCERT दिल्ली ने दिल्ली के विद्यालयों हेतु ऐसे आकलन आयाम को प्रारूप देने व विकसित करने की आवश्यकता अभिव्यक्त की थी।

तत्पश्चात इस कार्य हेतु प्रधानाचार्यो, SCERT संकाय, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों व शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से सम्मिलित एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने जुलाई 2015 में दो–दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत आकलन के मौजूदा आयामों पर विचार किया व NUEPA आयाम को आधार मानकर विद्यालयों में आकलन के सात आयामों को अंतिम रूप दिया जिनमें प्रत्येक आयाम के अपने–अपने समरूपी मानक थे।

इसी दौरान NUEPA ने नवम्बर, 2015 में 'राष्ट्रीय आकलन रूपरेखा' को जारी किया जो पूर्णतः व्यापक व आसानी से प्रभाव में लाई जाने वाली थी। यह रूपरेखा राज्यों को अनुमति देती है कि इसको इसी रूप में या इसको आधार मानकर राज्य के विद्यालयों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव लाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है।

NUEPA द्वारा तैयार की गई रूपरेखा को दिल्ली केन्द्रीय कमेटी द्वारा समझकर, स्वयं के संदर्भ में सारगर्भित करके अपनाया गया। दिसम्बर, 2015 में कमेटी द्वारा इस रूपरेखा का अध्ययन कर सभी सातों आयामों को दिल्ली सरकार के विद्यालयों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया गया। इसके अलावा NUEPA व RMSA (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) द्वारा आयोजित की गई कार्यशालाओं में प्राप्त विभिन्न हितधारकों की राय व विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया।

यह दस्तावेज 'दिल्ली शाला सिद्धि' राष्ट्रीय आकलन रूपरेखा का संदर्भित व रूपांतरित स्वरूप है जिसको DSPSSE कहा गया है। शब्द स्वरूप व कुछ तथ्यात्मक जानकारी पृष्ठों को रूपांतरित किया गया है परंतु NPSSE से इसका पूर्ण सामंजस्य है।

इसको दिल्ली सरकार व दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में आकलन के उपागम के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम (एन.पी.एस.एस.ई.)

"विद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हम सिफारिश करते हैं कि विद्यालयी सुधार हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ कि वह अपनी क्षमता के अनुरूप अच्छे परिणामों की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयासरत रहे।'

शिक्षा आयोग 1946–66

दृष्टिकोण (Vision)

"राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम की परिकल्पना एक ऐसे सकारात्मक कदम के रूप में की गई है जिसके द्वारा विद्यालयों को स्वयं सुधार हेतु निरन्तर प्रयास करने के लिये सक्षम बनाना अपेक्षित है।"

भारतीय शिक्षा में प्रभावी विद्यालयों एवं विद्यालय संचालन में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है ताकि सभी बच्चों के लिये गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सके। विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता हेतु किए जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के कार्य–निष्पादन और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अतः विद्यालयी सुधार हेतु व्यापक एवं समग्र विद्यालयी मूल्यांकन व्यवस्था की आवश्यकता पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम चला रहा है। 'राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यालय का एक संस्था के रूप में मूल्यांकन करना और जवाबदेही के साथ स्व–उन्नयन की संस्कृति का निर्माण करना है।'राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम""विद्यालय मूल्यांकन" को साधन के रूप में और "विद्यालय सुधार" को साध्य के रूप में देखता है।

यह कार्यक्रम देश के सभी विद्यालयों को स्कूल मूल्यांकन की सतत् एवं संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयास है, इसलिए यह विद्यालय–मूल्यांकन, क्या हो, क्यों हो, कैसे हो के बारे में हितधारकों में एक सामान्य समझ विकसित करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम 'गुजरात के गुणोत्सव', 'उड़ीसा के समीक्षा कार्यक्रम', 'कर्नाटक विद्यालयी गुणात्मक आकलन एवं मान्यता द्वारा विकसित मूल्यांकन रूपरेखा' इत्यादि विद्यालय मूल्यांकन संबंधी वर्तमान प्रयासों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है। यह कार्यक्रम विद्यालय मूल्यांकन पर साक्ष्य आधारित अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोधों पर भी आधारित है।

राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांत

- यह संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम'2009, एवं राष्ट्रीय योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर आधारित है।
- यह विद्यार्थी को केन्द्र में रखते हुए विद्यालय को मूल्यांकन की इकाई के रूप में देखता है।
- विद्यालय-मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया स्वीकार करते हुए यह विद्यालय में उत्तरोत्तर सुधार पर बल देता है।
- यह विद्यालय-मूल्यांकन को विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों के सहयोगपूर्ण प्रयास के रूप में देखता है।
- यह प्रत्येक विद्यालय को अपने कार्यों को समझने के लिए सक्षम बनाता है जिससे वे सतत स्व-सुधार की ओर अग्रसर हो सकें।

1.1 राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य–

- भारतीय विद्यालयों की विविधता के अनुरूप तकनीकी रूप से उपयुक्त अवधारणात्मक रूपरेखा, प्रविधि, मूल्यांकन उपकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना।
- राज्यों में संस्थागत मशीनरी की स्थापना के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयी मूल्यांकन रूपरेखा में बदलाव किया जा सके।
- विद्यालय एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करना ताकि वे स्कूल मूल्यांकन के माध्यम से विद्यालयी सुधार के लिय सतत प्रयासरत रहें।
- विद्यालय की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव लाना, विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट का विश्लेषण करना और उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन करना।

'विद्यालय–मूल्यांकन' के माध्यम से 'विद्यालय सुधार'

- प्रत्येक विद्यालय अपने परिप्रेक्ष्य, आकार, परिस्थति और संसाधनों के संदर्भ में विशिष्ट है।
- विद्यालयों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पूर्णरूप से लागू करने का जनादेश प्राप्त है।
- विद्यालय–मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी विद्यालय विशेष के कार्यों का सतत एवं समग्र मूल्यांकन।
- अपने मज़बूत पहलुओं तथा सुधार हेतु तात्कालिक कार्यवाई की आवश्यकता वाले पहलुओं की पहचान करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय अपनी वर्तमान गतिविधियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
- विद्यालय–मूल्यांकन में सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता एवं सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक निर्णय करना संभव हो जाता है।
- अनुभवों के सामूहिक आदान–प्रदान और चिन्तन के माध्यम से विद्यालय–मूल्यांकन शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया और अध्यापकों को समृद्ध करता है।
- विद्यालय–मूल्यांकन में अन्तर्निहित समीक्षा प्रविधि के प्रावधान से अधिक अच्छा नियोजन और उसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है।
- विद्यालय–मूल्यांकन, विद्यालय विशेष को समग्रता में सशक्त करता है ताकि परिवर्तन को अपनाते हुए स्थायी बदलाव को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

1.2 अवधारणात्मक और क्रियात्मक योजनाः एन.पी.एस.एस.ई

एन.पी.एस.एस.ई. के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए इसके मुख्य बिन्दुओं को चिह्नित किया जाए जैसे– सामग्री निर्माण, महत्त्वपूर्ण कर्मचारियों की क्षमताओं का निर्माण एवं विकास तथा उपयुक्त संस्थाओं एवं प्रासंगिक शोध की उपलब्धता।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय तकनीकी समूह (एन.टी.जी.) का गठन किया गया है जिसमें पूरे देश से विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में कार्यरत विशेषज्ञों को मनोनीत किया गया है। कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य तकनीकी समूहों का (एस.टी.जी.) का गठन किया गया है।

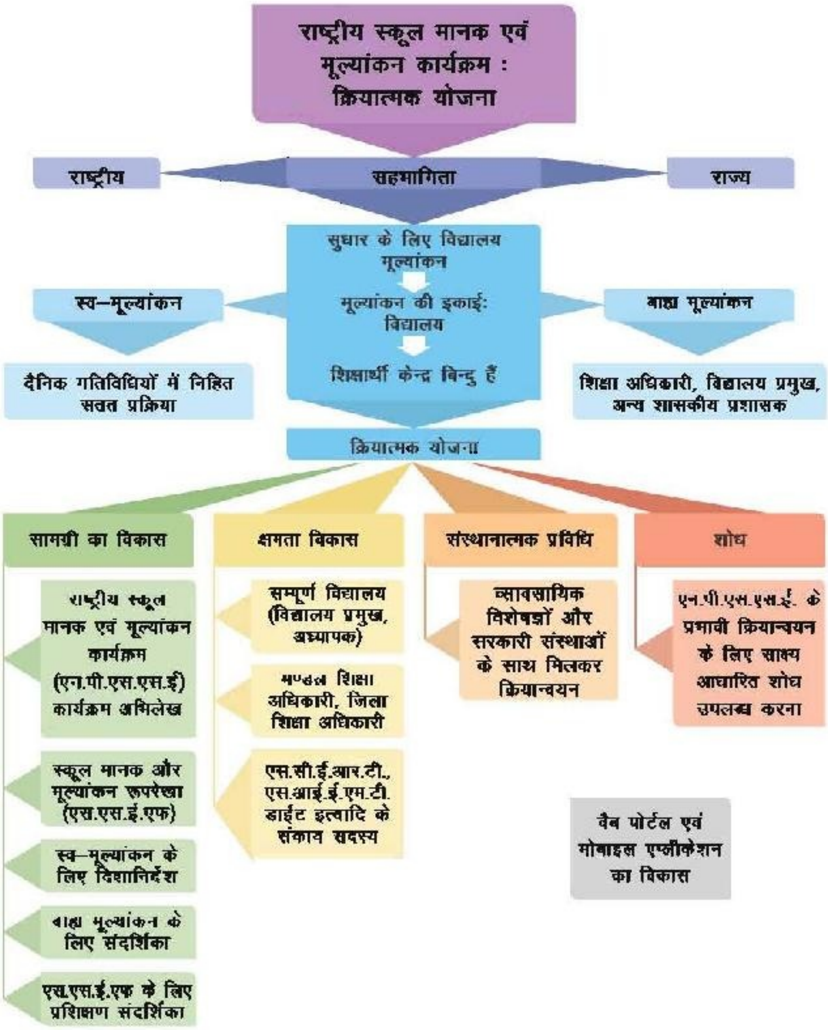

एन.पी.एस.एस.ई. की अवधारणात्मक और क्रियात्मक योजना

2.0 स्कूल मानक एवं मूल्यांकन की रूपरेखा (एस.एस.ई.एफ)

'स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा' का विकास स्कूल मूल्यांकन के लिए एक व्यापक साधन के रूप में किया गया है। यह रूपरेखा विद्यालय को अपनी गतिविधियों का पूर्वपरिभाषित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन करने में सहायक सिद्ध होगी।

एस.एस.ई.एफ को राज्य स्तर के अधिकारियों, जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों, शिक्षाविदों, विद्यालय प्रमुखों, शिक्षक संघ, अध्यापकों आदि की सहभागिता से विकसित किया गया है। यह रूपरेखा 'विद्यालय सुधार हेतु विद्यालय मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए' सभी हितधारकों की पारस्परिक सहमति पर आधारित है।

एस.एस.ई.एफ विकास के दौरान इसके प्रत्येक पहलू का विद्यालयों में समुचित परीक्षण किया गया है।

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन रूपरेखा की मुख्य विशेषताएँ

- यह रूपरेखा स्व–मूल्यांकन एवं बाह्य–मूल्यांकन दोनों के लिए व्यापक साधन है।
- विभिन्न प्रकार के स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह राज्यों को छूट प्रदान करती है कि वे विद्यालयों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसमें उपयुक्त बदलाव ला सकें।
- इसका उपयोग विद्यालय एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तर्कसंगत ढंग से आसानी से किया जा सकता है।
- यह रूपरेखा मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत और पारदर्शी बनाती है।
- यह रूपरेखा विद्यालय के मुख्य आयामों की चिह्नित करती है और प्रत्येक मुख्य आयाम के अंतर्गत मूल्यांकन एवं सुधार हेतु मूल मानकों का निर्धारण करती है।

2.1 एस.एस.ई.एफ की संरचना

एस एस ई एफ में सात 'मुख्य आयाम' हैं जो कि विद्यालय के कार्यों में मूल्यांकन के महत्वपूर्ण मानदण्ड हैं। प्रत्येक 'मुख्य आयाम' में मूल मानकों का एक समूह है जो उस कार्यक्षेत्र के अधिकतर महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बताता है। प्रत्येक मुख्य आयाम के क्रमबद्ध चरण हैं 'विचारणीय बिंदु', 'तथ्यात्मक जानकारी', 'मूल मानक' (विवरणात्मक विषयवस्तु) एवं 'सहायक साक्ष्य'। ये सब मिलकर स्कूल के कार्य–स्तर के बारे में गुणात्मक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। प्रत्येक आयाम के अंत में एक उत्तर सारिणी दी गई है जिसमें निर्णयों को लिखा जाता है। प्रत्येक स्कूल से अपेक्षा की जाती है कि वह स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड के रूप में विद्यालय मूल्यांकन की समेकित रिपोर्ट तैयार करे।

2.2 मुख्य आयाम एवं मूल मानक

मुख्य आयाम	मूल मानक
स्कूल संसाधन, उपलब्धता, पर्याप्तता एवं उपयुक्तता	➢ स्कूल परिसर ➢ खेल का मैदान, खेल–उपकरण एवं सामग्री ➢ कक्षा–कक्ष एवं अन्य कक्ष ➢ बिजली एवं बिजली से चलने वाले उपकरण ➢ पुस्तकालय ➢ प्रयोगशाला ➢ कम्प्यूटर ➢ रैम्प ➢ दोपहर का भोजन, रसोई एवं बर्तन ➢ पीने का पानी ➢ हाथ धोने के लिए सुविधाएँ ➢ शौचालय
शिक्षण–अधिगम एवं आकलन	➢ अध्यापकों की बच्चों के बारे में समग्र समझ ➢ अध्यापकों का विषयवस्तु एवं शिक्षणविधि ज्ञान ➢ शिक्षण के लिए नियोजन ➢ अधिगम के लिए सहायक वातावरण ➢ शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया ➢ कक्षा का प्रबंधन ➢ शिक्षार्थियों का आकलन ➢ शिक्षण–अधिगम संसाधनों का उपयोग ➢ शिक्षण–अधिगम प्रविधियों पर अध्यापक द्वारा चिन्तन–मनन
शिक्षार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास	➢ शिक्षार्थियों की उपस्थिति ➢ शिक्षार्थियों की सहभागिता एवं संलिप्तता ➢ शिक्षार्थियों की प्रगति ➢ शिक्षार्थियों का वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास ➢ शिक्षार्थियों की उपलब्धि
अध्यापक कार्य एवं व्यावसायिक विकास का प्रबंधन	➢ नए अध्यापकों का उन्मुखीकरण ➢ अध्यापकों की उपस्थिति ➢ जिम्मेदारियाँ निर्धारित करना एवं निष्पादन लक्ष्य को परिभाषित करना ➢ पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं हेतु अध्यापकों की तैयारी ➢ अध्यापकों के निष्पादन का अनुवीक्षण ➢ अध्यापकों का व्यावसायिक विकास
स्कूल प्रबंधन एवं नेतृत्व	➢ दृष्टिकोण विकास एवं दिशा–निर्देश तय करना ➢ परिवर्तन एवं सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना ➢ शिक्षण–अधिगम में नेतृत्व प्रदान करना ➢ स्कूल प्रबंधन में नेतृत्व प्रदान करना
समावेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा	➢ समावेशी संस्कृति ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन ➢ भौतिक सुरक्षा ➢ भावनात्मक सुरक्षा ➢ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
समुदाय की गुणात्मक सहभागिता	➢ विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन और प्रबंधन ➢ विद्यालय सुधार में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका ➢ विद्यालय – समुदाय का आपसी संबंध ➢ अधिगम संसाधन के रूप में समुदाय ➢ समुदाय का सशक्तीकरण

मुख्य आयाम	मूल मानक
स्कूल संसाधनः उपलब्धता, पर्याप्तता, एवं उपयुक्तता	उपलब्ध भौतिक संरचना की गुणात्मकता क्या है, मानव संसाधन एवं शिक्षण–अधिगम संसाधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता कितनी है? (12 मानक)
शिक्षण–अधिगम एवं आकलन	शिक्षण–अधिगम तथा आकलन प्रक्रिया कितनी प्रभावी है? (9 मानक)
बच्चों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास	बच्चों की सीखने में प्रगति, सीखने के परिणामों की उपलब्धि तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास कितना है? (5 मानक)
अध्यापक कार्य एवं व्यावसायिक विकास का प्रबंधन	अध्यापक कार्य एवं अध्यापक विकास का प्रबंधन कैसा है? (6 मानक)
स्कूल नेतृत्व एवं प्रबंधन	स्कूल का नेतृत्व एवं प्रबंधन कैसा है? (4 मानक)
समावेशन स्वास्थ्य और सुरक्षा	स्कूल कितना समावेशी एवं सुरक्षित हैं? (5 मानक)
समुदाय की गुणात्मक सहभागिता	समुदाय एवं स्कूल का आपसी संबंध कितना प्रभावी है? (5 मानक)

2.3 विद्यालय मूल्यांकन एवं सुधार प्रक्रिया

3.0 मुख्य आयाम की संरचना

मुख्य आयाम–परिचय

प्रत्येक मुख्य आयाम के प्रारंभ में उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें विद्यालय के लिए निर्धारित निष्पादन क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें मुख्य आयाम की विशेषताओं का भी विवरण है। प्रत्येक मुख्य आयाम क्रमबद्ध ढंग से संरचित है, जिसमें विचारणीय प्रश्न, तथ्यात्मक जानकारी, विवरण सहित मूल मानक और सहायक साक्ष्य दिए गए हैं जिनके द्वारा स्कूल के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन दोनों के लिए निष्पक्ष निर्णय लिया जा सकता है। अन्त में उत्तर सारिणी दी गई है जिसमें मूल्यांकन संबंधी निष्कर्ष लिखे जा सकते हैं।

विचारणीय आधारबिंदु

यह ऐसे आधार बिंदुओं का समूह है जो प्रत्येक मुख्य आयाम की विषयवस्तु के लिए आधार तैयार करता है। ये व्यापक आधारबिंदु विद्यालय को प्रत्येक मुख्य आयाम के आधार पर स्व–मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व सामूहिक रूप से चिन्तन के लिये प्रेरित करते हैं। ये आधारबिंदु यह बताने में सहायक हैं कि किस प्रकार की जानकारी पर विशेष ध्यान देना है ताकि विद्यालय अपना सही मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो जाए।

तथ्यात्मक जानकारी

तथ्यात्मक जानकारी से अभिप्राय ऐसे प्रश्न समूह से है जिससे यह पता चलता है कि किसी मुख्य आयाम में विद्यालय की क्या स्थिति है। यह सांख्यकीय आँकड़ों या संक्षिप्त उत्तरों के रूप में हो सकती है। इसके लिए संकलित कुछ जानकारी ऐसी भी हो सकती है जो उससे संबंधित मूल मानकों में उपलब्ध न हो, जिसके कारण मूल्यांकन की सार्थकता में वृद्धि होती है। स्कूल पहले से उपलब्ध जानकारी या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल मूल्यांकन के लिए कर सकता है। किसी मूल मानक के आधार पर अपने बारे में सही आकलन करने में स्कूल को तथ्यात्मक जानकारी से सहायता मिलती है। इससे बाह्य मूल्यांकनकर्त्ता को भी स्कूल को समझने में सहायता मिलती है जिससे वह मूल मानकों की व्याख्या पर आधारित स्कूल मूल्यांकन से संबंधित अपने आकलन की पुष्टि कर सकता है।

मूल मानक

मूल मानक प्रत्येक मुख्य आयान के महत्वपूर्ण पहलुओं को परिभाषित करते हैं। ये मापन योग्य अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं और स्कूल के मूल्यांकन के लिए समान आधार प्रदान करते हैं। ये अपेक्षित स्तर को क्रमशः बढ़ते हुए तीन स्तरों के अंतर्गत रखते हैं।

ये उन सभी महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाते हैं जिन पर किसी भी मुख्य आयाम में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए ध्यान देना आवश्यक है। मूल मानक विकास की ओर अग्रसर विद्यालयों को दिशा प्रदान करते हैं।

मूल मानकों का विवरण

ये विवरण मानकों की संपूर्ण व्याख्या करते हैं जिससे पता चलता है कि प्रत्येक स्तर पर मूल मानकों को कहाँ तक प्राप्त किया जा सकता है। ये किसी विशिष्ट स्तर पर मूल मानकों को परिभाषित करते हैं। ये मूल मानकों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को अपनाने में सहायक हैं। ये बढ़ते हुए क्रम (आरोही) में तीनों स्तरों के लिए लिखे गए हैं। इससे स्कूल को अपना स्तर तय करने में मदद मिलती है और अगले अपेक्षित स्तर की समझ बनती है क्योंकि स्तरों का विवरण बढ़ते हुए क्रम में है। यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूल जिस स्तर पर अपने को आँकता है, उसने उससे नीचे वाले स्तर को प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए यदि स्कूल किसी मूल मानक के स्तर 3 पर स्वयं को है तो यह अपेक्षित है कि उसने उस मानक के स्तर 1 और 2 की अपेक्षाएँ पूरी कर ली हैं।

साक्ष्य के स्रोत

साक्ष्य स्कूल को यह निर्णय करने में सहायता प्रदान करता है कि वह अपने आपको किस स्तर पर आँके। विद्यालय से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक मूल मानक से संबंधित अपने आकलन के पक्ष में उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करे। प्रत्येक मूल मानक के अंत में साक्ष्य के संभावित स्रोतों की सूची दी गई है। स्कूल जिस स्तर पर स्वयं को आँकता है, अपने इस निर्णय के प्रमाण के लिए वह इस सूची से उचित सुझाव चुन सकता है। स्कूल इस सूची के अतिरिक्त और साक्ष्य भी दे सकता है। यह स्रोतों दस्तावेज़, फोटो, सांख्यिकीय या श्रव्य– दृश्य सामग्री के रूप में हो सकते हैं। स्कूल 'डाईस रिपोर्ट कार्ड' का भी इस्तेमाल कर सकता है। तदोपरान्त स्कूल को अपने स्वयं के साक्ष्यों का स्रोत बनाने की भी आवश्यकता है जिसका आधार कक्षा का अवलोकन हो सकता है, जिसमें विद्यार्थियों के कथन, माता–पिता के विचार और एस.एम.सी के सुझाव शामिल हो सकते हैं।

- साक्ष्य स्रोत का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है– संदर्भ वाले साक्ष्य – सरकारी निर्देश व आज्ञापत्र, स्कूल रजिस्टर, निर्धारित मापदण्ड (Norm) आदि।
- सहायक साक्ष्य– स्कूल में उपलब्ध रिकार्ड
- ऐसे साक्ष्य जिनको स्कूल द्वारा स्वयं निर्मित करने की आवश्यकता है।

उत्तर सारिणी (Response Matrix)

प्रत्येक मुख्य आयाम के लिए एक उत्तर सारिणी दी गई है। स्कूल को हर मूल मानक के अंतर्गत अपना उत्तर लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। स्कूल को सामूहिक विचार–विमर्श से अपना उत्तर तय करना है और प्रत्येक स्तर के विवरणों के आधार पर अपनी राय बनाना है। स्कूल को हर मूल मानक के लिए केवल एक ही स्तर चुनना है अर्थात उसके अनुरूप उत्तर देना हैं।

उत्तर सारिणी ऐसी व्यापक सारिणी है जिससे स्कूल को प्रत्येक मुख्य आयाम में अपनी वर्तमान स्थिति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने पर स्कूल से अपेक्षित है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी सात उत्तर सारणियाँ तैयार हो गई हैं।

नवाचार

प्रत्येक मुख्य आयाम विद्यालय को नवाचारी गतिविधियों अथवा अपनी श्रेष्ठताओं को लिखने के लिए अवसर प्रदान करता है, विशेषतया ऐसी गतिविधियों के बारे में जिनका उल्लेख पहले से मूल मानकों में नहीं है। इससे प्रत्येक विद्यालय की अद्वितीयता का विवरण प्रस्तुत करना सम्भव हो जाता है। यह स्वीकार करता है कि कोई विद्यालय प्रस्तुत रूपरेखा में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त भी कोई अन्य कार्य कर सकता है। इससे विद्यालय को अपने संदर्भ में किए गए लघुस्तरीय नवाचारों को प्रचारित करने का अवसर भी प्राप्त होता है।

सुधार के लिए नियोजन

उत्तर सारिणी में 'सुधार के लिए नियोजन' के अंतर्गत विद्यालय को अपना स्तर (I, II या III) लिखना है। विद्यालय अपने लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकता है जिन पर वह काम करना चाहता है। वह अपनी वर्तमान सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों को छोड़ भी सकता है। वह प्राथमिकता के आधार पर चयनित क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। इसके उपरान्त चुने हुए क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करते हुए प्रत्येक क्षेत्र का स्तर (निम्न, मध्यम, उच्च) निर्धारित किया जाता है और चरणबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिकता से संबंधित निर्णय विद्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं, नीतियों से उत्पन्न माँग, स्थानीय संदर्भों, विद्यालय के विशिष्ट मुद्दों इत्यादि पर निर्भर होंगे।

इसके उपरान्त विद्यालय, प्रारम्भिक योजना (सुधार तालिका के लिए योजना) का निर्माण अपने अनूठे विकल्पों के आधार पर करता है। इसके पश्चात विद्यालय-सुधार के चुने हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण तैयार करता है। विद्यालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी मूल मानकों पर एक ही समय में या एक ही समयावधि के दौरान कार्य करे। इस प्रयोजन के लिए विद्यालय को प्रत्येक मूल मानक के लिए वर्ष 1, 2 या 3 (वर्ष 1, वर्ष 2 या वर्ष 3) पर सही (✓) का निशान लगाने की ज़रूरत है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपनी उत्तर सारिणी के आधार पर विद्यालय ने सोच-समझकर क्या निर्णय लिया है।

मुख्य आयाम के बारे में

यह मुख्य आयाम के महत्व को दर्शाता है।

विचारणीय आधारबिंदु

यह ऐसा प्रश्न समूह है जिसके आधार पर विद्यालय प्रत्येक आयाम में स्व–मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व स्व–विश्लेषण करता है।

तथ्यात्मक जानकारी

तथ्यात्मक जानकारी प्रश्नों या आँकड़ों के बिंदुओं का ऐसा समूह है जो किसी मुख्य आयाम में विद्यालय के स्तर को दर्शाता है।

मूल मानक

इनके आधार पर मापनीय अपेक्षाओं का निर्माण किया जाता है तथा गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाता है। इनके आधार पर स्कूल मूल्यांकन की रूपरेखा विकसित की जाती है।

विवरण कथन

विवरण कथन स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक स्तर पर मूल मानकों की किस सीमा तक पूर्ति हुई है।

साक्ष्य स्रोत

साक्ष्य विद्यालय को विशिष्ट स्तर पर अपने आपको आँकने के लिए आधार प्रदान करता है।

नवाचार

प्रत्येक मुख्य आयाम विद्यालय को नवाचारों का उल्लेख करने का अवसर प्रदान करता है, विशेषतया ऐसे पहलुओं का जो पहले से मानकों में सम्मिलित न हों।

उत्तर सारिणी

प्रत्येक मूल मानक के संदर्भ में अपना उत्तर लिखने के लिए स्कूल को उत्तर सारिणी का उपयोग करना चाहिए।

सुधार के लिए योजना

विद्यालय सुधार के लिए आवश्यक आयामों की पहचान करने के लिए विद्यालय उत्तर सारिणी का प्रयोग कर सकते हैं। सुधार योजना को उपयोगी बनाने के लिए विद्यालय सामूहिक रूप से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करता है जिन पर वह काम करना चाहता है। कुछ कार्यों को अपनी वर्तमान सीमाओं के आधार पर छोड़ा जा सकता है।

मुख्य आयामों की संरचना

4.0 स्कूल–मूल्यांकन का उपागम

स्कूल मानक और मूल्यांकन की रूपरेखा स्व और बाह्य मूल्यांकन दोनों के लिए एक योजनाबद्ध उपकरण है। स्व–मूल्यांकन को विद्यालयी मूल्यांकन प्रक्रिया की धुरी के रूप में जाना जाता है। बाह्य मूल्यांकन का स्व–मूल्यांकन के पूरक के रूप में प्रयोग होता है और दोनों के फलस्वरूप स्कूलों की श्रेष्ठताओं एवं कमियों का निर्धारण होता है। इसका उद्देश्य विद्यालय के सुधार हेतु विद्यार्थियों का संपूर्ण चित्रण करना है।

	स्व–मूल्यांकन	बाह्य–मूल्यांकन
क्या	विद्यालय की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी हुई एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया है।	विद्यालय के कार्य निष्पादन की एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ तस्वीर विकसित करने के लिए स्व–मूल्यांकन की पूरक प्रक्रिया।
कौन	विद्यालय अपनी समग्रता में, जिसमें सभी हित–धारक जिनमें विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति भी शामिल है, पारस्परिक सहयोग से कार्य करते हैं।	मूल्यांकनकर्ता विद्यालय से बाहर के होते है परन्तु शिक्षा विभाग से होते हैं, जैसे– शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के मुख्य अध्यापक, अन्य लोक प्रशासक आदि।
कैसे	स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित है– सभी हितधारकों को तैयार करना, साक्ष्यों को एकत्रित करना एवं विश्लेषण करना, उत्तर सारिणी में निर्णय लिखना, विद्यालय मूल्यांकन डैशबोर्ड में समेकित रिपोर्ट लिखना।	मूल्यांकनकर्ता विद्यालय के 'समालोचक मित्र' के रूप में कार्य करते हैं, स्व–मूल्यांकन दस्तावेजों का विश्लेषण और समीक्षा करते हैं, अध्यापकों, माता–पिता, बच्चों और अन्य हित–धारकों से अतिरिक्त जानकारी लेते हैं, कक्षा–कक्ष की व्यवस्था और विद्यालय की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करते हैं, विद्यालय को उद्देश्यपूर्ण फीडबैक देते हैं, निर्णय को रिकार्ड करते हैं और मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करते हैं, सुधार हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हैं।
कब	सत्र के दौरान किया जाता है। (जुलाई–जून) (विद्यालय मूल्यांकन डैशबोर्ड में भरी गई समेकित रिपोर्ट को सत्र के अन्त में जमा करने की आवश्यकता होती है।)	मध्य – सत्र में और सत्र की समाप्ति पर अभ्यास के रूप में यह एक वर्ष में दो बार नियोजित की जाती है। (राज्यों में अपने मापदण्ड के अनुसार बाह्य मूल्यांकन की आवृति के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।)

पूरक मूल्यांकन

4.1 स्कूल-मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश

स्कूल-मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश का उद्देश्य स्व–मूल्यांकन और बाह्य–मूल्यांकन प्रक्रियाओं को एक क्रमबद्ध एवं दक्षतापूर्ण तरीके से करने में सहयोग प्रदान करना है।

सभी विद्यालयों और बाह्य–मूल्यांकनकर्ताओं से अपने निर्णयों को अधिक सटीक बनाने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

स्व–मूल्यांकन दिशानिर्देश

मूल्यांकन हेतु तैयार करना

- साक्ष्यों को एकत्रित करना एवं रिकार्ड करना
  - हित–धारकों के विचार
  - विद्यालय अवलोकन
  - कक्षा–कक्ष अवलोकन
  - दस्तावेजों की समीक्षा
- विद्यालय के कार्य के स्तर की पहचान करना एवं रिकार्ड करना।
- सुधार हेतु मजबूत पहलुओं और अवसरों की पहचान करना
- सतत सुधार हेतु कार्य योजना का निर्माण करना।
- विद्यालय विकास योजना के साथ सतत सुधार हेतु कार्य योजना (ACIP) का एकीकरण

अनुपूरक मूल्यांकन

बाह्य–मूल्यांकन दिशानिर्देश

मूल्यांकन हेतु तैयार करना

- साक्ष्यों को एकत्रित करना एवं रिकार्ड करना
  - हित–धारकों के विचार
  - विद्यालय अवलोकन
  - कक्षा–कक्ष अवलोकन
  - दस्तावेजों की समीक्षा
- विद्यालय के कार्य के स्तर की पहचान करना और रिकार्ड करना।
- सुधार हेतु मजबूत पहलुओं और अवसरों की पहचान करना
- सतत सुधार हेतु कार्य योजना का निर्माण करना।
- सतत सुधार हेतु विद्यालय विकास योजना के साथ कार्य योजना (ACIP) का एकीकरण

*स्कूल मूल्यांकन दिशानिर्देश का संदर्भ लें।

5.0 स्कूल – मूल्यांकन डैशबोर्ड के बारे में

'स्कूल–मूल्यांकन डैशबोर्ड' प्रत्येक विद्यालय के प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों और मूल मानकों, जिसमें सुधार हेतु उठाए गए कदम सम्मिलित हैं, की समेकित स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को सहज बनाता है। इसके तीन भाग हैं– (i) विद्यार्थियों और अध्यापकों के बारे में आधारभूत जानकारियाँ (ii) विद्यालय के समग्र मूल्यांकन की संयुक्त सारिणी जो सात प्रमुख क्षेत्रों और उनके मूल मानकों में विद्यालयी निष्पादन की समग्र तस्वीर उपलब्ध कराती है, और (iii) सतत विद्यालय सुधार योजना हेतु कार्य योजना। डैशबोर्ड पर बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए भी प्रावधान होता है।

'विद्यालय – मूल्यांकन डैशबोर्ड' एक विशेष वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। प्रत्येक विद्यालय संवादात्मक (Interactive) वेब पोर्टल का प्रयोग करते हुए अपनी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट को जमा कर सकते हैं। बाह्य–मूल्यांकनकर्त्ताओं को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट देने के लिए उसी वेब पोर्टल का प्रयोग करना होता है। स्व–मूल्यांकन और बाह्य–मूल्यांकन को शामिल करते हुए वेब पोर्टल के द्वारा एक 'समेकित विद्यालयी मूल्यांकन रिपोर्ट' ऑनलाइन तैयार हो जाती है।

'विद्यालय–मूल्यांकन डैशबोर्ड' का उपयोग विद्यालयी मूल्यांकन रिपोर्ट और उनके आँकड़ों को देखने और विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है जिसे विद्यालय को उपयुक्त सहायता देने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक समेकित किया जा सकता है। यह विद्यालयों की अपनी उत्तरोत्तर प्रगति एवं सुधार की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। यह विद्यालयों को अपने सतत सुधार हेतु उपयुक्त कार्यवाही के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है और अपने कार्यों के पुनः मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय समेकित आँकड़े सभी स्तरों पर नीतिपरक निर्णयों में सहायता दे सकते हैं।

6.0 राज्य विशिष्टता, अनुकूलन, संदर्भीकरण और अनुवाद

एस एस ई एफ राज्यों को विद्यालय–मूल्यांकन मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान करता है। यह उन्हें राज्य की विशिष्ट नीतियों तथा उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप अनुकूलन के लिए प्रोत्साहित करता है। यह रूपरेखा में राज्य विशिष्ट भाषा के संदर्भ में अनुकूलन, संदर्भीकरण तथा अनुवाद के लिए अवसर प्रदान करता है।

7.0 वेब पोर्टल

स्कूल मानक और मूल्यांकन को स्थायी बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एक समर्पित और परस्पर संवादात्मक (Interactive) वेब पोर्टल द्वारा संचालित है। वेब पोर्टल में कार्यक्रम संबंधी सभी दस्तावेज़ हैं जो सभी उपयोगकर्त्ताओं द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

वेब पोर्टल परस्पर संवादात्मक मंच है जहाँ प्रत्येक विद्यालय अपनी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकता है। बाह्य मूल्यांकनकर्त्ता को भी अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट देने के लिए इसी वेब पोर्टल का प्रयोग करना होता है। स्व तथा बाह्य विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ एक समेकित विद्यालय मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार की जाती है।

प्रत्येक विद्यालय का यू.डी.आई.एस.ई. (UDISE) कोड ही उनका लॉग-इन आइ डी है जिसके द्वारा वह अपना पासवर्ड बना सकता है। इसी प्रकार सभी ब्लॉक, जिला और राज्य अपनी लॉग इन आइ डी और पासवर्ड बना सकते हैं।

वेब पोर्टल की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक विद्यालय की मूल्यांकन रिपोर्ट अभिभावक और आम नागरिक सभी को उपलब्ध होती है और वे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।

वेब पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित सभी हितधारकों के द्वारा किया जा सकता है–

1. **विद्यालय**
   - यूडाईस कोड को लॉग–इन आइ डी के रूप में प्रयोग करते हुए अपनी लॉग–इन आइ डी बनाते हैं और अपना पासवर्ड बना सकते हैं।
   - विद्यालय सुधार के लिए स्व–मूल्यांकन आँकड़े और कार्य योजना को ऑनलाइन भरते हैं।
   - स्व–मूल्यांकन आँकड़े भरने के पश्चात विद्यालय की स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार होती है।
2. **बाह्य मूल्यांकनकर्त्ता**
   - संबंधित विद्यालय के लिए लॉग–इन आइ डी और पासवर्ड बना दिया जाता है।
   - संबंधित विद्यालय की विद्यालयी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट देखना।
   - विद्यालयी बाह्य मूल्यांकन आँकड़ों को भरना और बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट को निकालना।
3. **समेकित विद्यालयी मूल्यांकन रिपोर्ट**
   - स्व–मूल्यांकन और बाह्य–मूल्यांकन, दोनों को शामिल करते हुए समेकित स्कूल मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
4. **ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर**
   - ब्लॉक, जिला और राज्य राष्ट्रीय स्तर के लिए लॉग–इन आइ डी और पासवर्ड बनाना।
   - प्रत्येक विद्यालय की मूल्यांकन रिपोर्ट देखना, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रक्रिया और प्रगति की निगरानी।
   - विद्यालयी कार्य निष्पादन मूल्यांकन का सार तैयार करना और ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयामों में मूल मानकों के स्तर का विश्लेषण करना।

मुख्य आयाम I

स्कूल संसाधनः उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता

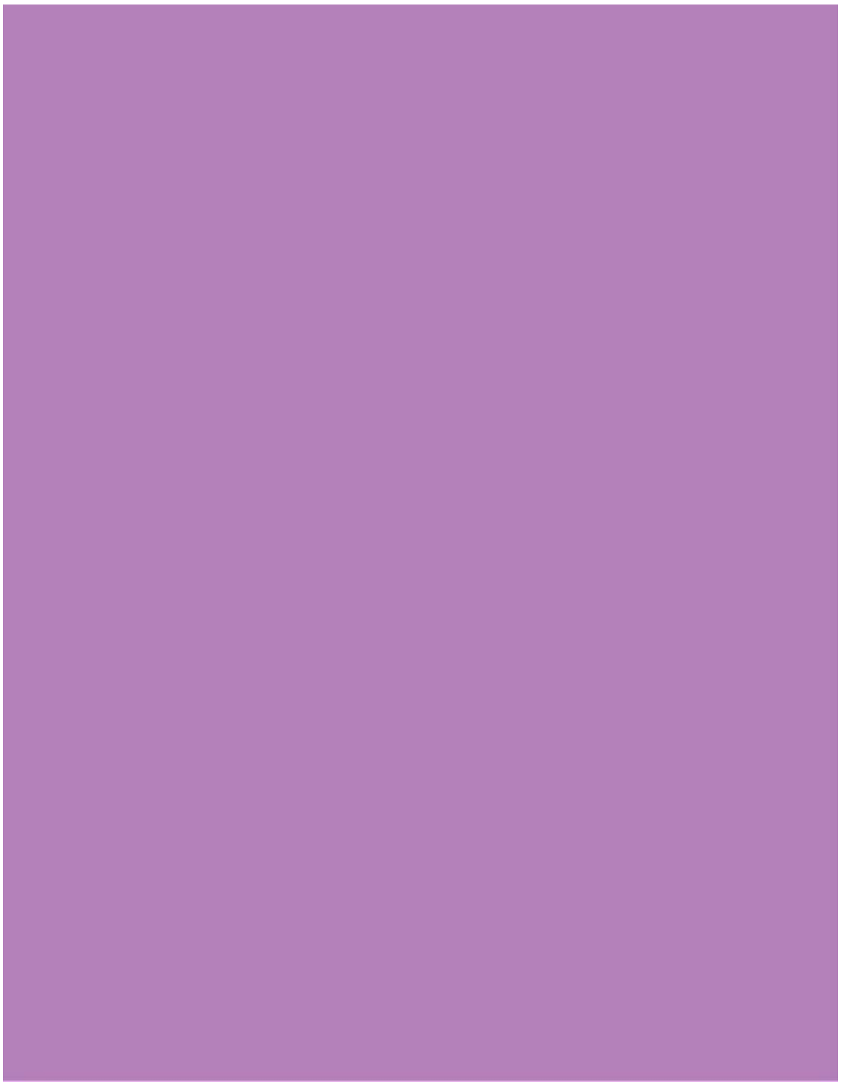

मुख्य आयाम 1

स्कूल संसाधनः उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता

मुख्य आयाम के बारे में

विद्यालय को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए कुछ आवश्यक संसाधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय को सुव्यवस्थित संचालन हेतु अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है। भौतिक, मानवीय, वित्तीय संसाधन एवं शिक्षण सामग्री आदि विद्यालय को सक्षम बनाने वाले ऐसे संसाधन हैं, जो सुरक्षित सुविधापूर्ण तथा तनावरहित वातावरण में विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहायक हैं। स्कूल संसाधनों की मुख्य विशेषताएँ उनकी सरल उपलब्धता और प्रभाविकता है। सरल उपलब्धता से तात्पर्य है कि सभी सुरक्षित एवं अनिवार्य सुविधाएँ प्रयोग करने वालों के लिए सरलता से उपलब्ध हैं। प्रभाविकता से तात्पर्य है कि सभी संसाधनों का पूर्णतः भलीभाँति उपयोग हो रहा है। अतः विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वह उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करे ताकि अधिगम के लिए सहायक वातावरण का निर्माण हो सके और साथ ही स्कूल में सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी उच्च स्तर बना रहे।

विचारणीय आधार बिंदु

प्र.1. स्कूल में कौन-से संसाधन उपलब्ध हैं और क्या वे पर्याप्त हैं?

प्र.2. स्कूल में इन संसाधनों की गुणवत्ता और उपयोगिता कितनी है?

प्र.3. स्कूल ने साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या–क्या उपाय किए हैं?

तथ्यात्मक जानकारी

(यदि आवश्यक हो तो, वांछित जानकारी उपलब्ध कराते समय स्कूल एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकता है)

1. पूरे विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) ____________________

2. खेल के मैदान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में), (यदि उपलब्ध है) ____________________

3. यदि कोई खेल का मैदान नहीं है, तो विद्यालय में खुली जगह का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) ______

4. विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ– कक्षा ________ से कक्षा ________ तक

5. विद्यालय में कुल नामांकन (30 सितंबर को)

(i) नर्सरी में	बालक ________	बालिकाएँ ________
(ii) प्राथमिक कक्षाओं में	बालक ________	बालिकाएँ ________
(iii) उच्च प्राथमिक कक्षाओं में	बालक ________	बालिकाएँ ________
(iv) माध्यमिक कक्षाओं में	बालक ________	बालिकाएँ ________
(v) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में	बालक ________	बालिकाएँ ________

6. विद्यालय के भवन की दशा

क. अच्छी ☐	ग. अधिक मरम्मत की आवश्यकता है ☐
ख. मामूली मरम्मत की आवश्यकता है ☐	घ. विद्यालय भवन का भाग निर्णाणाधीन है ☐
ङ. सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्माणधीन है ☐	

7. विभिन्न गतिविधियों, खेल–कूद, कला–शिक्षा, कार्य–अनुभव और अन्य सह–शैक्षिक गतिविधियों की सूची तथा उनके लिए उपलब्ध उपकरणों एवं सामग्री की सूचीः

8. विद्यालय में उपलब्ध कक्षा–कक्ष (क्लासरूम)

क. कक्षा–कक्षों की संख्या ____________________

ख. उन कक्षा–कक्षों की संख्या जिनमें विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है (एस.एस.ए./आर.एम.एस.ए. के मानदंडों के अनुरूप) ☐

9. उन कक्षा–कक्षों की संख्या जिनमें विद्यार्थी चटाई, टाट–पट्टी या दरी पर बैठते हैं, ________

10. उन कक्षा–कक्षों की संख्या जिनमें विद्यार्थियों के बैठने के लिए डेस्क हैं ________

11. उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए बेंच/कुर्सियों की कमी के कारण कुछ और बेंच/कुर्सियों की आवश्यकता है ________

12. अन्य कक्षों की उपलब्धता

क. विद्यालय–प्रमुख के लिए कक्ष ☐ ग. कार्यालय कक्ष ☐

ख. शिक्षकों के लिए कक्ष ☐ घ. अन्य (उल्लेख करें) ____________

13. क्या पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है? हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, तो उसका क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) ____________________

14. पुस्तकालय में एक समय में बैठकर पढ़ सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या ....

15. पुस्तकालय का संचालन कौन करता है:

क. पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष ☐ ग. विद्यालय प्रमुख ☐

ख. अध्यापक ☐ घ. अन्य व्यवस्था (उल्लेख करें) ....

16. पुस्तकालय में उपलब्ध:

क. शब्दकोशों और विश्वकोशों की संख्या ☐

ख. विद्यालय में लिए जाने वाले समाचारपत्रों की संख्या ☐

ग. विद्यालय में लिए जाने वाली पत्रिकाओं की संख्या ☐

घ. अन्य संदर्भ पुस्तकों की संख्या ☐

17. शब्दकोशों एवं विश्वकोशों के अतिरिक्त 'प्रति 100 विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध पुस्तकों की संख्या____________________

18. विद्यालय में प्रयोगशाला की उपलब्धता:

क. समेकित विज्ञान प्रयोगशाला ☐

ख. विभिन्न विषयों के प्रदर्शन/प्रयोग के लिए अलग–अलग प्रयोगशालाएँ (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान; जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित आदि के लिए) ☐

ग. उपकरणों को रखने के लिए कक्ष का केवल एक कोना या अलमारी है ☐

घ. प्रयोगों के लिए कोई उपकरण नहीं है ☐

19. विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या जो

क.	शिक्षण–अधिगम के लिए हैं	☐	ग.	पुस्तकालय के लिए हैं	☐
ख.	प्रशासन के लिए हैं	☐	घ.	कोई कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं है	☐

20. उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रयोग किया जाता है:

क.	केवल विद्यालय–प्रमुख द्वारा	☐	ग.	विद्यार्थियों द्वारा	☐
ख.	अध्यापकों द्वारा	☐	घ.	इन्टरनेट उपलब्ध नहीं है	☐

21. विद्यालय में निम्नलिखित अन्य उपकरणों की उपलब्धता:

क.	टेलीविजन	☐	घ.	जनरेटर	☐
ख.	सीडी/डीवीडी प्लेयर	☐	ङ	अन्य (कृपया उल्लेख करें)____________	
ग.	एलसीडी प्रोजेक्टर	☐			

22. विद्यालय में उपयोग में आने वाले शौचालय:

क. बालकों के लिए शौचालय सीटों की संख्या ☐

ख. बालिकाओं के लिए शौचालय सीटों की संख्या ☐

ग. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए शौचालय ☐

घ. बालकों के लिए मूत्रालयों की संख्या ☐

ङ. अध्यापकों के लिए अलग शौचालयों की संख्या ☐

च. कोई शौचालय नहीं ☐

छ. शौचालय की केवल एक इकाई है ☐

23. विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पानी के नलों की संख्या

क.	हाथ धोने के लिए	☐	ख.	पीने के लिए (यदि अलग है तो)	☐

24. पेयजल के स्रोत:

क.	ट्यूबवेल/हैंड पम्प	☐	ख.	दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा	☐

ग. कोई अन्य (उल्लेख करें) ____

25. विद्यालय में पानी के शुद्धिकरण की प्रक्रिया:

क.	आर.ओ.	☐	ख.	क्लोरीनीकरण से	☐
ग.	फिल्टर से छानकर	☐	घ.	कोई व्यवस्था नहीं	☐

ङ. अन्य (उल्लेख करें) ....

26. विद्यालय में हाथ धोने की उपलब्ध सुविधा किस प्रकार की है?

क.	नल	☐	ख.	बाल्टी और मग	☐
ग.	कोई व्यवस्था नहीं	☐	घ.	अन्य (उल्लेख करें)____________	

27. क. क्या पानी ओवरहेड/भूमिगत टैंक में संग्रहित होता है? हाँ ☐ नहीं ☐

ख. यदि हाँ, तो गत वर्ष में इन्हें कितनी बार साफ किया गया? ________________

28. क. विद्यालय में सामूहिक सभाओं का आयोजन कहाँ होता है?

क. बरामदे/गलियारे में	☐	ग. खुली जगह में	☐
ख. सभा कक्ष में	☐	घ. कोई निश्चित स्थान नहीं है	☐

29. (i) विद्यालय में मध्याह्न भोजन (मिड–डे–मील):

क. विद्यालय में ही बनता है? हाँ ☐ नहीं ☐

ख. किसी एजेंसी द्वारा बाहर से आपूर्ति की जाती है हाँ ☐ नहीं ☐

(ii) यदि विद्यालय में ही बनता है तो क्या विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन को तैयार करने के लिए विद्यालय में रसोईघर या खाना पकाने के लिए कमरा है? हाँ ☐ नहीं ☐

30. यह निश्चित करने के लिए कि भोजन सुरक्षित हो और कीड़े/मकोड़े, चूहे, छिपकली आदि से दूषित न हो, क्या सावधानी बरती जाती है?

☐

31. क्या विद्यालय में बिजली है? हाँ ☐ नहीं ☐

क. यदि हाँ, तो उन कमरों की संख्या जिनमें पंखे लगे हैं ________________

ख. उन कमरों की संख्या जिनमें बिजली के प्रकाश की सुविधा उपलब्ध है (बल्ब, सीएफएल, ट्यूब आदि द्वारा) ________________

32. कक्षाओं के अतिरिक्त विद्यालय में उपलब्ध अन्य कमरों की सूची दें और बताएँ कि उनका क्या उपयोग हो रहा है।

☐

33. विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण (जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क गणवेश, छात्रवृत्ति, आदि):

क. उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी गई ________________

ख. उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें निःशुल्क गणवेश दिया गया ________________

ग. उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी गई ________________

घ. अन्य प्रोत्साहनों का विवरण तथा ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनकी इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पात्रता है (उल्लेख करें) ________________

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
विद्यालय परिसर	खुली जगह अपर्याप्त है; विद्यालय सभा के लिए सीमित स्थान है; कच्चा/आधा–कच्चा भवन या तम्बू जैसा निर्माण है; बाउंड्री वॉल/फेंसिंग नहीं है या उसमें बीच–बीच में गैप है; विद्यालय परिसर में कोई उद्यान या पेड़ नहीं हैं।	खुला और निर्मित क्षेत्र विद्यालय सभा के लिए पर्याप्त तो है किंतु सभी विद्यार्थियों को आराम से बैठाने के लिए अपर्याप्त है; पक्का भवन है, बाउंड्री वॉल/बिना फाटक की फेंसिंग है; परिसर में छोटा सा उद्यान और कुछ पेड़ हैं।	विद्यार्थियों के चलने–फिरने और विद्यालय सभा के लिए पर्याप्त खुला स्थान है; बाउंड्री वॉल/फेंसिंग है; वृक्षारोपण किया गया है; मेन गेट (फाटक) है; विद्यालय में उद्यान और घास का मैदान है जिसका रख–रखाव किया गया है।	खुली जगह का उपयोग केवल विद्यालय सभा के लिए ही होता है; मैदान समतल नहीं है। परिसर गंदा है तथा उचित रख–रखाव नहीं है; फर्श, दीवार, छत, खिड़कियों तथा दरवाज़ों की विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।	विद्यालय सभा के लिए जगह/हॉल का उपयोग शारीरिक व्यायाम, समारोहों तथा विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में होता है; मैदान समतल है; फर्श, दीवार, छत, खिड़कियों तथा दरवाज़ों की छोटी–मोटी मरम्मत अक्सर की जाती है।	खुली जगह और भवन स्वच्छ है और रख–रखाव उत्तम है; उपयुक्त समय पर मरम्मत की जाती है।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण	खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है; विद्यालय द्वारा पड़ोसी स्कूल के खेल के मैदान का या सामुदायिक स्थान का खेल के मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है; खेल के उपकरण नहीं हैं या अपर्याप्त हैं।	छोटे आकार का खेल का मैदान है; कुछ खेलों के लिए दूसरे स्कूल के खेल–मैदान का प्रायः उपयोग होता है; केवल कुछ खेलों के लिए ही पर्याप्त खेल–सामग्री उपलब्ध है।	विद्यालय परिसर में ही ठीक आकार का खेल का मैदान उपलब्ध है; विभिन्न खेलों के लिए पर्याप्त उपकरण और सामग्री उपलब्ध हैं।	विद्यार्थी अक्सर वही खेल खेलते हैं जिनमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है या सामग्री की कम आवश्यकता होती है; विद्यार्थियों को खेलों के लिए किसी प्रकार के मार्गदर्शन एवं निगरानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	विद्यार्थी विद्यालय में उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग कुछ ही खेलों के लिए कर पाते हैं; खेलों के लिए निश्चित समय निर्धारित है; खेलों की सभी गतिविधियों के लिए निगरानी की व्यवस्था है; खेल उपकरण उपलब्ध हैं और उनके रख–रखाव की व्यवस्था है तथा आवश्यकतानुसार वे उपलब्ध होते हैं; खेलों का आयोजन स्कूल में या किसी अन्य स्थान पर किया जाता है।	विद्यार्थी योजनाबद्ध तरीके से विविध खेलों में हिस्सा लेते हैं; खेलों के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधा है; विद्यालय में सभी खेल उपकरणों की सूची है, नष्ट या खराब सामग्री की जगह नई सामग्री लाने की व्यवस्था है; विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
कक्षा–कक्ष और अन्य कक्ष	विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सभी कक्षा कक्ष छोटे हैं; कक्षा–कक्षों के अतिरिक्त केवल विद्यालय–प्रमुख के लिए ही कक्ष उपलब्ध है; कक्षा–कक्षों में दरी या टाट–पट्टी (प्राथमिक कक्षाओं के लिए) उपलब्ध तो है, किंतु पर्याप्त नहीं है।	विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कुछ कक्षा–कक्ष छोटे हैं; विद्यालय–प्रमुख के लिए पृथक और अध्यापकों के लिए सामूहिक कक्ष उपलब्ध है; विद्यालय में फर्नीचर आवश्यकता के अनुरूप है।	कक्षा कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सभी के बैठने के लिए और समूहिक कार्य व अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान है; कार्यालय, मण्डार, कला आदि के लिए अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है; प्रत्येक कक्षा कक्ष में बेंच, कुर्सी व अन्य फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में है; अध्यापकों के लिए अलमारी एवं लॉकर उपलब्ध हैं।	सभी कक्षा–कक्षों में खिड़की से आने वाली हवा और रोशनी की कमी है; कुछ कक्षा–कक्षों में श्यामपट की गुणवत्ता अच्छी नहीं है; कक्षा–कक्षों की दीवार में कुछ ही चार्ट और नक्शे लगे हैं। कक्षों में फर्नीचर निम्न गुणवत्ता का है और उसकी मरम्मत करने या बदले जाने की आवश्यकता है।	अधिकांश कक्षा–कक्षों में हवा और रोशनी उपयुक्त है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ पंखे लगे हैं; अधिकांश कक्षा–कक्षों की दीवारों पर चार्ट नक्शे प्रदर्शित हैं; फर्नीचर आराम दायक हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं।	सभी कक्षा–कक्षों में हवा और रोशनी अच्छी है; अन्य कक्षों में पर्याप्त फर्नीचर व साधन हैं; कक्षों में चित्र आदि लगाकर उन्हें आकर्षक बनाया गया है। फर्नीचर को सजावट की दृष्टि से आकर्षक तरीके से लगाया गया है, कक्षा कक्षों में फर्नीचर आयु के अनुरूप है, तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हैं।
विद्युत और उपकरण	बिजली की व्यवस्था नहीं है; बैटरी द्वारा संचालित उपकरण जैसे रेडियो आदि उपलब्ध हैं।	बिजली अनियमित है; बिजली जाने या कटौती के समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है; सभी कक्षों में लाइट और पंखे लगे हैं; टीवी जैसे इलैक्ट्रोनिक उपकरण उपलब्ध हैं।	विद्यालय में बिजली जाने पर जनरेटर या इनवर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था है; सभी कक्षों में बल्बों और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था है। विद्यालय में लाउड स्पीकर जैसे उपकरण हैं।	विशिष्ट अवसरों पर विद्यालय द्वारा जनरेटर या बैटरी जैसे उपकरणों को किराए पर लिया जाता है।	बिजली के तार तथा स्विच बोर्ड अच्छी अवस्था में हैं। बिजली के उपकरणों (पंखों आदि) की समय–समय पर देखभाल की जाती है।	शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से रोकने के लिए एम.सी.बी. लगे हैं; सभी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समय–समय पर देखभाल और मरम्मत की जाती है और यह निश्चित किया जाता है कि सभी उपकरण काम कर रहे हैं।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
पुस्तकालय	विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पुस्तकों की संख्या अपर्याप्त है; पुस्तकालय कक्ष नहीं है और यदि है तो उसमें पढ़ने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है।	पुस्तकों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या पर्याप्त है, तथा उन्हें नियमित रूप से लिया जाता है; पुस्तकालय कक्ष और वाचनालय उपलब्ध है; ई–पुस्तकें या डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं है।	पुस्तकों का संकलन पर्याप्त है; समाचार पत्र और पत्रिकाएँ पर्याप्त संख्या में लिए जाते हैं; पुस्तकालय का अलग कक्ष है जिसमें बैठकर पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह है। ई–पुस्तकें और डिजिटल सामग्री उपलब्ध है।	पुस्तकें ठीक तरह से वर्गीकृत नहीं हैं; विद्यालय समय–सारिणी में पुस्तकालय के लिए अलग से कालांश नहीं है; पुस्तकें घर में पढ़ने के लिए नहीं दी जाती हैं।	पुस्तकें ठीक ढंग से रखी हैं तथा वर्गीकृत हैं, उन्हें घर में पढ़ने के लिए दिया जाता है; विद्यालय समय–सारिणी में पुस्तकालय के लिए अलग से कालांश है; संसाधन उपलब्ध होने पर नई पुस्तकों को पुस्तकालय के लिए खरीदा जाता है।	पुस्तकें ठीक ढंग से वर्गीकृत हैं, उन्हें अलमारियों में ठीक ढंग से रखा गया है तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा उनका नियमित उपयोग किया जाता है; पुस्तकालय में ई–पुस्तकों तथा डिजिटल सामग्री को उपलब्ध कराया गया है; शिक्षकों और विद्यार्थियों की आयु, भाषायी पृष्ठभूमि तथा अकादमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नई पुस्तकों को नियमित रूप से पुस्तकालय के लिए खरीदा जाता है। पुस्तकालय के संसाधन पढ़ने–पढ़ाने के कार्य में सहायक हैं।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
प्रयोगशाला (जहाँ प्रावधान हो)	अलग से प्रयोगशाला नहीं है पर विद्यालय में कुछ स्थान उपकरणों और प्रयोगशाला की सामग्री के लिए निर्धारित है।	प्रदर्शन हेतु कुछ आधारभूत उपकरण उपलब्ध हैं। विज्ञान और गणित के लिए एक संयुक्त प्रयोगशाला (उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के परिपेक्ष में) उपलब्ध है।	विद्यालय में सभी आवश्यक प्रयोगशालाएँ हैं तथा राज्य के मापदण्ड के अनुसार सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध हैं; प्रयोगशाला में नल के पानी की आपूर्ति और बिजली की सतत सुविधा उपलब्ध है।	अध्यापक कुछ प्रयोगों का कक्षा में प्रदर्शन करते हैं; विद्यार्थियों को शायद ही कभी प्रयोग करने का अवसर मिलता है।	अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाता है; प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को कभी–कभी प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है; प्रयोगशाला में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है।	प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगों को करने का अवसर दिया जाता है। अध्यापक पाठ पढ़ाते समय प्रयोगशाला में प्रयोग करके उससे संबंधित विषयवस्तु पढ़ाते हैं।
कम्प्यूटर (जहाँ प्रावधान हो)	विद्यालय में सीखने और सिखाने के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं है; डिजिटल अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं है।	विद्यालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए कुछ कम्प्यूटर उपलब्ध हैं; कुछ डिजिटल अधिगम सामग्री और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं; इंटरनेट सुविधा नहीं है।	विद्यालय में इंटरनेट के साथ पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं; इस्तेमाल के लिए डिजिटल सामग्री तथा सॉफ्टवेअर भी उपलब्ध हैं।	अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर के उपयोग का कोई अवसर नहीं है।	अध्यापक विभिन्न कक्षाओं और विषयों के लिए शिक्षण में कम्प्यूटर और डिजिटल सामग्री का उचित उपयोग करते हैं; विद्यार्थियों को भी कभी–कभी कम्प्यूटर का उपयोग करने का अवसर मिलता है।	अध्यापक पाठ योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में तकनीकी (कम्प्यूटर और डिजिटल सामग्री) का समावेश करते हैं; वे विद्यार्थियों के आकलन के लिए भी कम्प्यूटर का उपयोग करते हैं; प्रत्येक विद्यार्थी को कम्प्यूटर का उपयोग करने का अवसर मिलता है।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
रैम्प	विद्यालय में रैम्प है किंतु निर्धारित माप दंडों के अनुसार नहीं है।	फिसलन रहित धरातल पर रैम्प बने हैं, चढ़ने पर सहायता के लिए रैम्प पर रेलिंग लगी है। रैम्प की ढलान और ऊँचाई निर्धारित मापदंडों के अनुसार है।	विद्यालय की सभी मंजिलों पर सुगमता से है पहुँचने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लिफ्ट/घुमावदार रैम्प है।	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रैम्प की सुविधा नहीं है।	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को रैम्प का उपयोग करते समय किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती है।	सुविधाजनक लिफ्ट/रैम्प के कारण विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी स्वयं ही सुगमता से इन सुविधाओं का प्रयोग कर लेते हैं।
मध्याह्न भोजन	विद्यालय के नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार रोज़ मध्याह्न भोजन की आपूर्ति स्टेनलैस स्टील के स्वच्छ, बड़े और सीलबंद डिब्बों में की जाती है।	मध्याह्न भोजन की आपूर्ति मध्याह्न भोजन प्रभारी की उपस्थिति में वायु अवरोधी एवं ताप नियंत्रित सीलबंद डिब्बों (कंटेनर) में की जाती है।	मध्याह्न भोजन की आपूर्ति रोज़ मध्याह्न भोजन प्रभारी की उपस्थिति में वायु अवरोधी एवं ताप नियंत्रित सीलबंद डिब्बों में की जाती है।	मध्याह्न भोजन आपूर्तिकर्ता शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार भोजन आपूर्ति तथा रसोईघर के मापदंडों का पालन करता है।	मध्याह्न भोजन निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप कच्ची सामग्री से भलीभाँति पकाकर विद्यालय पहुँचाया जाता है। विद्यार्थियों को भोजन परोसने वाले कर्मचारी सिर को टोपी से ढककर, एप्रेन तथा दस्ताने पहनकर भोजन बाँटते हैं। मध्याह्न भोजन कमेटी के सदस्यों द्वारा भोजन को जाँचने एवं चख लिए जाने पर ही भोजन विद्यार्थियों में वितरित किया जाता है।	कमेटी के सदस्यों द्वारा मध्याह्न भोजन पाकशाला का निरीक्षण किया जाता है, निश्चित समयांतराल के बाद मासिक निरीक्षण की आख्या मध्याह्न भोजन प्रकोष्ठ/क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती हैं।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
पेयजल	पेयजल की सुविधा उपलब्ध है किंतु जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है।	पेयजल की आपूर्ति पर्याप्त और नियमित है; यदि भूमिगत जल है, तो उसे स्वच्छ करने की व्यवस्था है।	सुरक्षित पेयजल की लगातार आपूर्ति हो रही है, यदि आवश्यकता होती है तो पेय जल संग्रह के स्थान की मरम्मत और साफ़–सफ़ाई की जाती है।	पेयजल की आपूर्ति जहाँ से भी होती है, उसकी गुणवत्ता जाँच किए बिना उसका पीने के लिए उपयोग किया जाता है।	पेयजल आवश्यकतानुसार स्वच्छ किया जाता है; पेयजल संग्रह के स्थान की नियमित साफ़–सफ़ाई की जाती है।	विद्यालय में शोधित (filtered) पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध होता है; पेयजल के स्थान के आसपास नियमित साफ़–सफ़ाई की जाती है।
हाथ धोने की सुविधाएँ	जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है तथा हाथ धोने के लिए पर्याप्त नल और नियत स्थान आदि नहीं हैं, साबुन की व्यवस्था नहीं है।	जल पर्याप्त है किंतु हाथ धोने के लिए पर्याप्त स्थान/नल आदि नहीं हैं; साबुन की आपूर्ति अपर्याप्त है।	जल व्यवस्था पर्याप्त और नियमित है; हाथ धोने के लिए पर्याप्त स्थान है; साबुन की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त है।	जल के बर्तन और हाथ धोने के स्थान की सफ़ाई और रख–रखाव बहुत कम होता है; अध्यापक विद्यार्थियों को हाथ धोने का महत्व नहीं या बहुत कम बताते हैं; विद्यार्थी कभी–कभी ही हाथ धोते हैं या बिना साबुन के धोते हैं।	जल के बर्तन और हाथ धोने के स्थान की नियमित सफ़ाई और रख–रखाव किया जाता है। विद्यार्थियों की सभा में अध्यापक उन्हें हाथ धोने का महत्व बताते हैं; विद्यार्थियों के हाथ धोने की व्यवस्था की अक्सर जाँच की जाती है।	हाथ धोने के स्थान की प्रतिदिन सफ़ाई की जाती है; विद्यालय विभिन्न गतिविधियों जैसे नारे, गीत, नाटक या पोस्टर आदि के द्वारा हाथ धोने की आवश्यकता और स्वच्छता के महत्व का प्रचार करता है; विद्यार्थियों में हाथ धोने की आदत विकसित करने और उसके महत्व को बताने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में निश्चित सत्रों की व्यवस्था होती है; विद्यालय–प्रमुख वैयक्तिक सफ़ाई की नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

मूल मानक	विवरण					
	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
शौचालय	विद्यालय में शौचालय नहीं है या अपर्याप्त हैं। बालक, बालिकाओं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CWSN) के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं।	बालक, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय हैं; (मानकों के अनुसार) शौचालयों में सीट तथा मूत्रालयों की संख्या अपर्याप्त है।	बालक, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय तथा मूत्रालय पर्याप्त संख्या में हैं; विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CWSN) के लिए सुविधाजनक शौचालय हैं।	शौचालय जीर्ण अवस्था में है, इनकी सफाई करने की व्यवस्था अनियमित है; फ्लश करने तथा सफाई के लिए पर्याप्त पानी और सामग्री उपलब्ध नहीं है।	उपयोग करने योग्य शौचालय हैं तथा उनकी दिन में कम से कम एक बार सफ़ाई की जाती है; फ्लश करने और सफाई के लिए पानी कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है; शौचालय का रख–रखाव कभी–कभी किया जाता है।	सभी शौचालय उपयोग करने योग्य है तथा इनका रख–रखाव किया जाता है; शौचालयों की सफ़ाई नियमित रूप से की जाती है; शौचालय में फ्लश करने और सफ़ाई के लिए पानी तथा स्वच्छता–सामग्री लगातार उपलब्ध रहती है; विद्यालय द्वारा शौचालयों को नियमित रूप से साफ और स्वच्छ रखा जाता है।

स्कूल–सुधार

साक्ष्य के स्रोत

संदर्भीय साक्ष्य (नियम/दिशानिर्देश/रजिस्टर/शासकीय आदेश)	➢ सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा : अध्याय–VI (पृष्ठ 93–104) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SSA-Frame-work.pdf) ➢ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रूपरेखा : अध्याय–IV (पृष्ठ 22–28) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Framework_Final_RMSA_3.pdf) ➢ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा : अध्याय–IV (पृष्ठ 78–100) (http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf) ➢ शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 : अध्याय–III (धारा 6,7,8 एवं 9 पृष्ठ 3–5 पर), अनुसूची (पृष्ठ 12–13) ➢ स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, 2014 (पृष्ठ 1–29, 35–43) http://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/upload document/Eng Swachch-Bharat-Swachch-Vidhalaya.pdf ➢ विद्यार्थी सूचना व्यवस्था/समेकित जिला शिक्षा सूचना व्यवस्था/डाटा संग्रहण रूपरेखा–2015–16 (515,UDISE,DCF 2015-16)
विद्यालय में उपलब्ध साक्ष्य	➢ विद्यालय में किए गए सभी प्रकार की मरम्मत/रख–रखाव का रिकार्ड ➢ पिछली बार रख–रखाव किए गए खेल के मैदान का विवरण ➢ विभिन्न परिवेश के सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के खेलों, शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव और अन्य सह–शैक्षिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध उपकरणों और सामग्रियों का विवरण ➢ लिए जाने वाले अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं, सामग्रियों, इ–बुक्स और डिजिटल सामग्रियों की सूची ➢ स्टॉक (भंडार) रजिस्टर, सूची और जारी करने का रजिस्टर ➢ समय–सारिणी में पुस्तकालय/वाचनालय में पढ़ने के लिए विशेष कालांश का प्रावधान ➢ इंटरनेट पर कार्य करने की सुविधा से युक्त कम्प्यूटर ➢ समय–सारिणी में कम्प्यूटर कालांश का आबंटन ➢ प्रशिक्षित प्रयोगशाला सहायक एवं अध्यापक से युक्त प्रयोगशालाएँ ➢ सभी उपकरणों, आग बुझाने वाले उपकरण और प्राथमिक उपचार बॉक्स की सूची ➢ संभावित खतरनाक सामग्रियाँ जैसे– बिजली के उपकरण, प्रयोगशाला के रासायनिक पदार्थ, स्टोव, गैस स्टोव, साफ़–सफ़ाई में काम आने वाले पदार्थों आदि की सूची। ➢ मापदण्डों के आधार पर शौचालयों की सफ़ाई और रखरखाव का विवरण ➢ नलों के पास साबुन/हाथ धोने के लिए तरल साबुन की उपलब्धता ➢ पिछली बार साफ़ किए गए पानी के टैंकों/पानी का भंडारण करने के स्थानों की सफ़ाई का प्रावधान ➢ पिछले वर्ष आयोजित की गई विभिन्न खेल/सांस्कृतिक गतिविधियों का रिकार्ड

साक्ष्य जिनकी विद्यालय को बनाने की आवश्यकता है	निम्नलिखित उपकरण/तकनीक का प्रयोग करके विद्यालय साक्ष्यों का निर्माण कर सकता है ➢ स्कूल संसाधनों की उपलब्धता और पर्याप्तता का निरीक्षण करके ➢ अध्यापकों, माता–पिता, विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति से स्कूल के संसाधनों की उपलब्धता एवं पर्याप्तता के बारे में विचार विमर्श करके

नवाचार

यदि विद्यालय के द्वारा इस आयाम के अंतर्गत कोई नवाचार किया गया है, तो उसका उल्लेख यहाँ करें–

स्कूल संसाधनः उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता

मूल मानक	उपलब्धता और पर्याप्तता			गुणवत्ता और उपयोगिता		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
विद्यालय परिसर						
खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण						
कक्षा–कक्ष और अन्य कक्ष						
विद्युत और उपकरण						
पुस्तकालय						
प्रयोगशाला						
कम्प्यूटर (जहाँ प्रावधान हो)						
रैम्प						
मध्याह्न भोजन, (बाह्य संस्था द्वारा आपूर्ति)						
पेयजल						
हाथ धोने की सुविधाएँ						
शौचालय						

सुधार के लिए योजना

मूल मानक	स्तर	सुधार के क्षेत्र	सुधार–क्षेत्र का प्राथमिकता क्रम			प्रस्तावित कार्य	समय–सीमा (उचित वर्ष पर (✓) निशान लगाएँ)		
			निम्न	मध्यम	उच्च		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3
विद्यालय परिसर									
खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण									
कक्षा–कक्ष और अन्य कक्ष									
विद्युत और उपकरण									
पुस्तकालय									
प्रयोगशाला									

मूल मानक	स्तर	सुधार के क्षेत्र	सुधार–क्षेत्र का प्राथमिकता क्रम			प्रस्तावित कार्य	समय–सीमा (उचित वर्ष पर (✓) निशान लगाएँ)		
			निम्न	मध्यम	उच्च		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3
कम्प्यूटर (जहाँ प्रावधान हो)									
रैम्प									
मध्याह्न भोजन, (बाह्य संस्था द्वारा आपूर्ति)									
पेयजल									
हाथ धोने की सुविधाएँ									
शौचालय									

मुख्य आयाम II

शिक्षण–अधिगम एवं आकलन

मुख्य आयाम II

शिक्षण–अधिगम एवं आकलन

मुख्य आयाम के बारे में

शिक्षण–अधिगम एक प्रमुख निष्पादन संबंधी आयाम है तथा बच्चों की उपलब्धि का महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रभावी शिक्षण–अधिगम नीतिगत योजना एवं अच्छे सीखने के वातावरण का परिणाम होता है। यह उचित अधिगम अनुभवों का निर्माण करता है तथा ऐसी शिक्षण–अधिगम प्रविधियों का उपयोग करता है जो कि बच्चों को सीखने में बढ़ावा देती हैं।

अध्यापकों को बच्चों की विशिष्ट पृष्ठभूमि एवं उनके सीखने की आवश्यकताओं की समझ इस प्रकिया की सफलता के लिये आवश्यक है। आकलन शिक्षण–अधिगम का एक अभिन्न अंग है एवं बच्चों की उपलब्धि का महत्वपूर्ण सूचक है। यह अध्यापकों के लिए उनकी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर विचार करने का एक ठोस आधार है। अध्यापक का विषय–वस्तु ज्ञान एवं शैक्षणिक कौशल ही अध्यापक के शिक्षण–अधिगम एवं आकलन के तरीके को निर्धारित करते हैं।

विचारणीय आधार–बिन्दु

प्र.1. बच्चों के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश तथा उनके सीखने की आवश्यकताओं की अध्यापक को कितनी समझ है?

प्र.2. अध्यापकों को आवश्यक विषय–वस्तु एवं शैक्षणिक कौशलों की कितनी जानकारी है?

प्र.3. अध्यापकों का बाल–केन्द्रित शिक्षण–अधिगम का प्रयोग कितना प्रभावी है?

प्र.4. अध्यापकों का पाठ योजना बनाना एवं कक्षा में उनका क्रियान्वयन कितना प्रभावी हैं?

प्र.5. बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं के संदर्भ में अध्यापकों का शिक्षण–अधिगम प्रविधियों एवं सामग्री में बदलाव कितना प्रभावी है ?

प्र.6. बच्चों की शिक्षण–अधिगम–प्रकिया के स्तर को जानने के लिए अध्यापक आकलन का कितना प्रयोग करते हैं?

तथ्यात्मक जानकारी

(अगर आवश्यक हो तो विद्यालय एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकता है)

1. अध्यापक बच्चों के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं घरेलू परिवेश के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
   - क. विद्यालय अभिलेखों द्वारा ☐ ख. माता पिता से बातचीत द्वारा ☐
   - ग. बच्चों से जानकारी लेकर ☐
   - घ. अन्य माध्यम से (कृपया स्पष्ट करें) ____________________

2. अध्यापक द्वारा शिक्षण–अधिगम संसाधनों का प्रयोग
   - क. संसाधनों की जानकारी नहीं है ☐
   - ख. संसाधनों की जानकारी है परंतु संसाधन पहुँच से बाहर हैं ☐
   - ग. उपलब्ध संसाधन जिनका प्रयोग किया जाता है ____________________
   - घ. बनाए गए व उपयोग में लाए गए संसाधन ____________________

3. बच्चों की सीखने के प्रति अभिवृत्ति, रुचि एवं प्रेरणा का आकलन अध्यापक किस आधार पर करते हैं?
   - क. शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं पाठ्य–सहगामी क्षेत्रों में उपलब्धि द्वारा ☐
   - ख. कक्षा में बच्चों से बातचीत के साक्ष्य द्वारा ☐
   - ग. अन्य शिक्षकों के साथ होने वाली चर्चा से ☐
   - घ. कक्षा के अन्दर एवं बाहर बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करके ☐
   - ङ आकलन में असमर्थ है ☐

मूल मानक	विवरण		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
बच्चों के बारे में अध्यापकों की समझ	बच्चे जिस समुदाय से आते हैं, अध्यापकों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश की जानकारी है; उन्हें बच्चों के घर के वातावरण एवं सीखने के स्तर की जानकारी है।	अध्यापकों को बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं एवं उनके समुदाय के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश की जानकारी है; वे कक्षा अनुभव एवं अन्य अध्यापकों, अभिभावकों एवं समुदाय से बातचीत के द्वारा बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं की समझ विकसित करते हैं।	अध्यापक बच्चों एवं उनके अभिभावकों से बच्चों की उपलब्धि की जानकारी लेते हैं। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेषताओं एवं सीखने की शैली के आधार को ध्यान में रखते हैं।
अध्यापकों का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान	विषय की कुछ अवधारणाओं की समझ न होने के कारण अध्यापक उन्हें पढ़ाने में कठिनाई महसूस करते हैं; वे अपने विषय –ज्ञान और शैक्षणिक कौशलों के सुधार के लिए प्रयास नहीं करते हैं।	अध्यापक कभी–कभी शैक्षणिक कौशलों के अभाव के कारण विषय की कठिन अवधारणाओं को पढ़ाने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे अपने विषय ज्ञान एवं शैक्षणिक कौशलों के कुछ संसाधनों जैसे विषय –चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा सुधार करने का प्रयास करते हैं।	अध्यापक अपने विषय ज्ञान और शैक्षणिक कौशल में पारंगत हैं अतः उन्हें कक्षा–शिक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती; यदि आवश्यक हो तो अध्यापक स्वयं या अपने अन्य अध्यापक साथियों से विषय ज्ञान और शैक्षणिक कौशल के लिए सहायता लेते हैं; अध्यापक नए प्रयोग करते हैं व विद्यालय भी इसमें अध्यापकों को सहायता प्रदान करता है।

मूल मानक	विवरण		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
शिक्षण योजना	अध्यापक पाठ्यपुस्तक के पाठों को सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए पढ़ाते हैं; उन्हें जानकारी है कि किस पाठ को पढ़ाया जाना है और इसके लिए कौन–कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी।	अध्यापक डायरी रखते हैं जिसमें शिक्षण और आकलन की शिक्षण– अधिगम– सामग्री का विस्तृत विवरण होता है; अध्यापक अपने शिक्षण में स्थानीय स्रोतों से अतिरिक्त शिक्षण-सहायक-सामग्री का निर्माण करते हैं एवं योजना के अनुसार शिक्षण करते हैं।	विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण है– प्रत्येक अध्यापक बच्चों की विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ योजना बनाते हैं, शिक्षण को बाल–केन्द्रित बनाते हैं तथा शिक्षण –सामग्री का उचित उपयोग करके शिक्षण –अधिगम को स्थानीय वातावरण से जोड़ते हैं; अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए उचित शिक्षण नीति जैसे– अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषण, खोज, समस्या–समाधान, आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ एवं निष्कर्ष निकालना जैसी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं।
सीखने के वातावरण को सक्षम बनाना	अध्यापक बच्चों को नाम से संबोधित करते हैं; वे शिक्षण–अधिगम के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं।	अध्यापक सभी विद्यार्थियों को तनाव रहित तथा आरामदायक परिस्थितियों में रखते हैं तथा उन्हें कक्षा की गतिविधियो में शामिल करते हैं; सामूहिक कार्य व गतिविधियों की योजना बनाते हैं और विद्यार्थियों के कार्य को कक्षा में प्रदर्शित करते हैं; अध्यापक शिक्षण–अधिगम सामग्री सभी को देते हैं।	अध्यापक कक्षा में सहायक तथा संवादात्मक वातावरण बनाते हैं; अध्यापक कक्षा में बच्चों को समूह में सीखने और बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं; अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं; अध्यापक सभी बच्चों के विचारों की सराहना करते हैं; अध्यापक प्रश्न पूछने और विचारों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं।

मूल मानक	विवरण		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया	अध्यापक कक्षा में केवल श्यामपट और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं; कभी–कभी बच्चों को श्यामपट से देखकर लिखने के लिए कहते हैं; कभी–कभी बच्चों को कक्षा–कार्य और गृह–कार्य देते हैं।	बच्चों को चर्चा में शामिल करने के लिए अध्यापक विभिन्न सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं; वे विषय से संबंधित अवधारणाओं को समझाने के लिए प्रयोगों का प्रदर्शन करते है; जिन बच्चों को अधिक मदद की आवश्यकता होती है उन्हें कठिन अवधारणाओं को समझाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं; अध्यापक गृहकार्य की पुस्तिकाओं की जाँच करके आवश्यक सलाह देते हैं।	अध्यापक बच्चों को जाँच, अन्वेषण, खोज, प्रयोग एवं सह अधिगम क्रियाओं के माध्यम से स्वयं सीखने के अवसर प्रदान कराते हैं; अध्यापक सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चा कक्षा चर्चा में भाग ले; बच्चों द्वारा आवश्यकतानुसार शिक्षण–अधिगम सामग्री का निर्माण करवाते हैं।
कक्षा प्रबंधन	अध्यापक कक्षा का उचित प्रबंधन करते हैं जिसमें वे बच्चों को श्यामपट की ओर मुँह करके पंक्ति में बैठाते हैं तथा स्वयं एक स्थान से कक्षा को संबोधित करते हैं और बच्चे शांति से सुनते हैं; अध्यापक कक्षा को शांत रखकर अनुशासन सुनिश्चित करते है।	अध्यापक कक्षा में विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं; अध्यापक बच्चों में नियमितता और समय की पाबन्दी को प्रोत्साहित करते हैं; बच्चे अध्यापक द्वारा निर्धारित प्रबंधन नियमों का अनुसरण करते हैं।	अध्यापक और बच्चे दोनों मिलकर कक्षा प्रबंधन के नियम बनाते हैं; कक्षा में बैठने की व्यवस्था लचीली है; तथा बच्चों को शैक्षिक गतिविधि की आवश्यकता के अनुसार कक्षा में बैठाते हैं; बच्चे स्वयं द्वारा निर्धारित कक्षा प्रबंधन के नियमों का पालन करते हैं। अध्यापक सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को कक्षा संबंधी कार्य दिया जाए। उदाहणार्थ – पंखे बन्द करना व पुस्तकों का वितरण इत्यादि।

मूल मानक	विवरण		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
बच्चों का आकलन	अध्यापक बच्चों का आकलन निर्धारित निर्देशों के अनुसार करते हैं; बच्चों को सामान्यतः पाठ की विषयवस्तु और पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के आधार पर उनके द्वारा रटे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए टेस्ट दिए जाते हैं; बच्चों के उपलब्धि स्तर को उनके अभिभावकों को प्रगति पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है।	सभी विषयों जैसे कि कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आकलन करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों/कार्यों का प्रयोग करते हैं; अध्यापक बच्चों को प्रगति–पत्र में सुधार के लिए सुझावात्मक विवरण देते हैं; अध्यापक बच्चों की उपलब्धियों के बारे में उनके अभिभावकों से नियमित रूप से बातचीत करते हैं।	अध्यापक आकलन को शिक्षण–अधिगम का एक अभिन्न भाग मानते हैं; वे बच्चों के नए आकलन को पूर्व आकलन से जोड़ते हुए उसे सतत आकलन का एक भाग बनाते हैं और बच्चों को उनकी प्रगति और उपलब्धि के बारे में बताते हैं; अध्यापक पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्रों में भी बच्चों का आकलन करते हैं जिनमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुण और उनमें सुधार हेतु किए जाने वाले उपायों का विवरण होता है।
शिक्षण–अधिगम संसाधनों का उपयोग	कक्षा अध्यापन हेतु अध्यापक मुख्यतः पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं; वे कभी–कभी अन्य छोटी–मोटी शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं जिसकी कोई योजना नहीं होती।	अध्यापक पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे सन्दर्भ पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, मॉडल, स्थानीय संसाधन, डिजिटल सामग्री, गणित एवं विज्ञान किट, भाषा किट प्रयोगशाला का उपयोग आवश्यकतानुसार करते हैं; विद्यालय में सभी शैक्षिक संसाधनों की एक सूची बनाई गई है तथा इस सामग्री को सभी अध्यापकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता है।	अध्यापक शिक्षण–अधिगम–सामग्री, स्थानीय सामुदायिक संसाधन, डिजिटल सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इत्यादि का पढ़ाए जाने वाले पाठ के लिए उपयोग करते हैं; विद्यालय अन्य विद्यालयों से भी इन संसाधनों को साझा करते हैं।

मूल मानक	विवरण		
	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
अध्यापक का शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया पर स्व–चिंतन	अध्यापक कभी–कभी अपनी शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया एवं बच्चों की प्रगति पर चिंतन करते हैं।	अध्यापक नियमित रूप से अपनी शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं और उसे अभिलेखित करते हैं; वे अपनी कक्षा–शिक्षण योजना का पुनः विश्लेषण करते हैं और आवश्यक सुधार करने का प्रयास करते हैं।	बच्चों की उपलब्धि के आधार पर अध्यापक अपनी पाठ योजनाओं एवं शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से चिंतन करते हैं एवं पाठ योजना तथा उनके क्रियान्वयन में पाए गए अंतर को पहचानकर सुधार के लिए योजना बनाते हैं और चिंतन के आधार पर अधिगम अनुभवों का निर्माण करते हैं।

साक्ष्य–स्रोत

संदर्भीय साक्ष्य (मानक/दिशानिर्देश/रजिस्टर/शासकीय आदेश)	➢ सर्व–शिक्षा अभियान क्रियान्वयन की रूपरेखा : अध्याय–4 (पृष्ठ 55–82) (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/SSA-Frame-work.pdf) ➢ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ), 2005, अध्याय–2, (पृष्ठ 12–34), अध्याय–3, (पृष्ठ 35–77) और अध्याय–4, (पृष्ठ 78–100) (http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf) ➢ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, अध्याय–4 (खण्ड–24, पृष्ठ–8), अध्याय–5 (खण्ड–29 पृष्ठ–9) (http://ssa.nic.in/rte-docs/free%20and%20compulsory.pdf) ➢ एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सभी विषयों के लिए अधिगम संकेतक (http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/pdf/LI_Final_Copy_Revised_29.12.14.pdf) ➢ पी.आई.एन.डी.आई.सी.एस. (प्राथमिक शिक्षक के लिये कार्य–सूचक), एन.सी.ई.आर.टी. (2013) (http://www.ncert.nic.in/pdf_files/PINDICS.pdf) ➢ रचनात्मकआकलनकेलिएशिक्षकनियमावली(विज्ञान)सी.बी.एस.ई.)(2010)(पृष्ठ–7) (http://www.cbse.nic.in/cce/cce-manual/CBSE-FA-Class-IX%20(Science)%20Final.pdf)
विद्यालय में उपलब्ध साक्ष्य	➢ विद्यालय द्वारा बनाए गए एवं सुरक्षित रखे गए बच्चों का विवरण (प्रोफाइल) ➢ शिक्षकों द्वारा बच्चों के घर जाने का अभिलेख ➢ शिक्षण–अधिगम–सामग्री के विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला में शिक्षकों की भागीदारी का अभिलेख ➢ पाठ योजना, उपचारात्मक शिक्षण की योजना, ➢ विद्यालय में उपलब्ध/आने वाली पत्रिकाओं की सूची ➢ विद्यालय में उपलब्ध एवं शिक्षकों द्वारा विकसित शिक्षण–अधिगम सामग्री ➢ परियोजनाओं, प्रयोगों, कार्य, तथा बच्चों द्वारा भ्रमण की रिपोर्ट के नमूने ➢ बच्चों के प्रगति कार्ड/संचयी अभिलेख ➢ आकलन अभिलेख/सी.सी.ई रजिस्टर जिसमें अंक/ग्रेड का उल्लेख हो ➢ सेमिनार, कार्यशालाओं आदि में शिक्षक का योगदान ➢ अधिगम संसाधनों का संग्रह जैसे– संसाधन पुस्तकें और अन्य अनुकरणीय सामग्री ➢ विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानीय लोगों की सेवाओं के अभिलेख ➢ बच्चों की उपस्थिति का रजिस्टर ➢ बच्चों के गृह कार्य, कक्षा कार्य एवं परीक्षा पत्र के नमूने ➢ विद्यालय प्रमुख, सी.आर.सी, बी.आर.सी. एवं किसी अन्य निरीक्षण संस्था द्वारा दिए गए सुझाव के अभिलेख

साक्ष्य जिनकी विद्यालय को बनाने की आवश्यकता है	**निम्नलिखित का प्रयोग करके विद्यालय साक्ष्यों का निर्माण कर सकता है:** ➢ अध्यापकों की पाठ योजना एवं उनके कक्षा– शिक्षण पर विद्यालय–प्रमुख द्वारा किए गए अवलोकन के अभिलेख ➢ शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया के लिए बच्चों एवं अभिभावकों से बातचीत ➢ बच्चों के साथ विद्यालय–प्रमुख की बातचीत के अभिलेख

नवाचार

यदि विद्यालय के द्वारा इस आयाम के अंतर्गत कोई नवाचार किया गया है, तो उसे यहाँ लिखें–

उत्तर सारिणी

शिक्षण—अधिगम एवं आकलन

मूल मानक	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3
बच्चों के बारे में शिक्षकों की समझ			
शिक्षक का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान			
शिक्षण—योजना			
अधिगम वातावरण को सक्षम बनाना			
शिक्षण—अधिगम—प्रक्रिया			
कक्षा प्रबंधन			
बच्चों का आकलन			
शिक्षण—अधिगम—संसाधनों का उपयोग			
शिक्षक का अपनी शिक्षण—अधिगम की प्रक्रिया पर स्व—चिंतन			

सुधार के लिए योजना

मूल मानक	स्तर	सुधार के क्षेत्र	सुधार–क्षेत्र का प्राथमिकता क्रम			प्रस्तावित कार्य	समय–सीमा (उचित वर्ष पर (✓) निशान लगाएँ)		
			निम्न	मध्यम	उच्च		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3
बच्चों के बारे में शिक्षकों की समझ									
शिक्षकों का विषय एवं शैक्षणिक ज्ञान									
शिक्षण–योजना									
अधिगम–वातावरण को सक्षम बनाना									
शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया									

मूल मानक	स्तर	सुधार के क्षेत्र	सुधार–क्षेत्र का प्राथमिकता क्रम			प्रस्तावित कार्य	समय–सीमा (उचित वर्ष पर (✓) निशान लगाएँ)		
			निम्न	मध्यम	उच्च		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3
कक्षा प्रबंधन									
बच्चों का आकलन									
शिक्षण–अधिगम संसाधनों का उपयोग									
शिक्षक को अपनी शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया पर स्व–चिंतन									

मुख्य आयाम III

शिक्षार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास

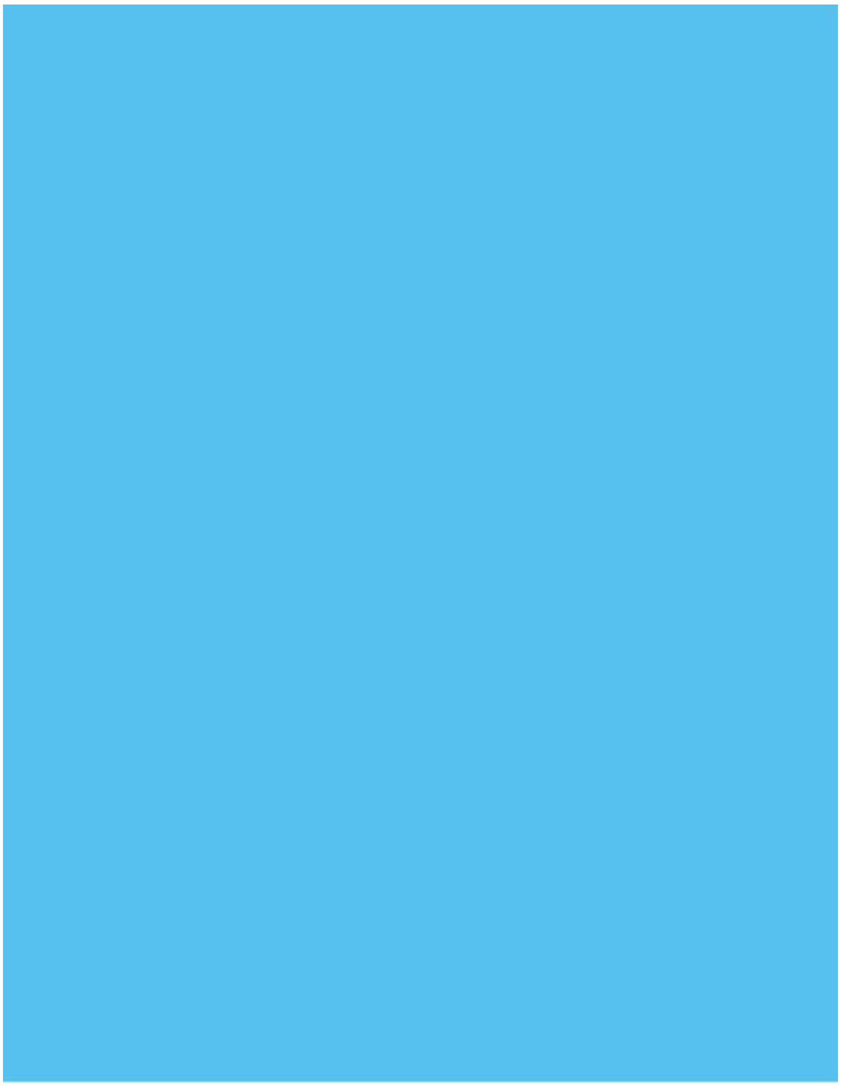

मुख्य आयाम III

शिक्षार्थियों की प्रगति, उपलब्धि एवं विकास

मुख्य आयाम के बारे में

विद्यालयी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक (Cognitive), भावात्मक (Affective) और गत्यात्मक (Psychomotor) विकास शामिल है। विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है कि सभी बच्चों को विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे तथा लगातार उनकी प्रगति का आकलन एवं अनुवीक्षण करे। बच्चों की पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में प्रगति के अतिरिक्त विद्यालय उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है। बच्चों की प्रतिभा, अंतर–वैयाक्तिक एवं सामाजिक कौशलों, के विकास के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम–सहगामी क्षेत्रों में उन्हें पूरे अवसर मिलें। अतः आवश्यक है कि इस आयाम के दायरे में सभी वांछनीय अधिगम संबंधी उपलब्धियाँ सम्मिलित हैं।